खण्ड-488, अंक-3
शुक्रवार, 02 फाल्गुन, शक संवत् 1935
(21 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2014)

(खण्ड 488 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
आज की कार्य-सूची में कार्य-स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख होने के बावजूद प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम-56 की सूचना को लेने से मना किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	7-10
प्रश्नोत्तर	10-29
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	29-30
इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद वाराणसी में लकड़ी के खिलौने के उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30-31
प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व मा0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में रसोइयों की नियुक्ति हेतु नई चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
आयुष चिकित्सकों द्वारा मरीजों को इलाज हेतु एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31-32
जनपद सहारनपुर को नगर निगम की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32-33
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के थाना स्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में कठेला को मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी ब्लाक न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	34
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34

विषय	पृष्ठ-संख्या
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
विधान सभा क्षेत्र महोबा के खनिज क्षेत्र के ग्रामों की पूर्णतः ध्वस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
पूर्वी उ0प्र0 के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को चार हिस्सों में बांट कर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद आगरा में बीज गोदाम को नियमित रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
जनपद सहारनपुर में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
गाजियाबाद के जस्सीपुरा मोड़ से कैलाश नगर पुलिस चौकी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	37
सदन की सहमति से अतिरिक्त समय में अन्य मदें लिये जाने का सुझाव (जारी)	38
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2012-2013 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	38
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1690/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(104)-2013, (सदन के पटल पर रखा गयी)	38
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1730/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश -(105)-2013, (सदन के पटल पर रखा गयी)	38
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना	39-40

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	40-41
सदन की सहमति से अतिरिक्त समय में अन्य मदें लिये जाने का सुझाव (स्वीकृत)	41
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	41-42
जे पी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	42
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)...	42
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	43-45
जनपद लखीमपुर खीरी के तमकुहीराज के अन्तर्गत परसौनी बाजार में दिन-दहाड़े दो व्यापारियों की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या किये जाने विषयक प्रकरण को उठाने का प्रयास	45-46
जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)...	46-48
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतीकरण ...	48-49
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ...	49-51
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (पारित)	51-59
आज की कार्य-सूची की मद संख्या-24 पर अंकित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आज ही लिये जाने पर बल	59-60
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ...	60-61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषदों को भी शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	61
जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	61-68
आगरा महानगर में हो रही काले, गन्दे, दूषित, बदबूदार पानी की आपूर्ति से निजात दिलाने हेतु शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (अस्वीकृत) ...	68-76
कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	76-80
नत्थी	81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-327

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
25. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
27. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
29. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
39. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
40. आशीष यादव, श्री — बदायूं
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. इकबाल, श्री — बिजनौर
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
46. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
49. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
50. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
51. उदयराज, श्री — उन्नाव
52. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन

53. उमाशंकर, श्री बलिया
54. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
58. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
59. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
60. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
69. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
70. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
71. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
72. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
73. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
80. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
81. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
82. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
83. जगपाल, श्री सहारनपुर
84. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
90. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
91. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
92. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
93. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
94. तसलीम, श्री बिजनौर
95. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
96. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
97. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
98. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
99. दलजीत सिंह, श्री बांदा
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
102. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
105. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
109. धर्मराज, श्री बाराबंकी
110. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
111. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
112. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
113. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
114. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
115. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई

116. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
117. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
118. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
119. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
120. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
121. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
122. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
123. पीतमराम, श्री पीलीभीत
124. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
125. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
126. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
127. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
128. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
129. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
130. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
131. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
132. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
133. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
134. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
135. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
136. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
137. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
138. बदलू खां, श्री उन्नाव
139. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
140. बाबू खां, श्री हरदोई
141. बाबूलाल, श्री गोण्डा
142. बावन सिंह, श्री गोण्डा
143. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
144. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
145. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
147. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
148. बैजनाथ, श्री मऊ
149. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
150. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
151. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
152. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
153. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
158. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
159. मनीष रावत, श्री सीतापुर
160. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
161. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
162. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
163. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
164. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
165. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
166. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
167. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
168. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
169. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
170. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
171. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
172. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
173. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
174. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
175. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
176. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
177. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
178. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
179. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
180. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर

181. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
182. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
183. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
187. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
188. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
189. यासर शाह, श्री बहराइच
190. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
191. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
192. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
193. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
194. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
195. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
196. रणजीत सुमन, श्री एटा
197. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
199. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
200. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
201. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
202. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
203. रवि शर्मा, श्री झांसी
204. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
205. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
206. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
207. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
208. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
209. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
210. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
211. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
212. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
213. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
214. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
215. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
216. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
217. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
218. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
219. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
220. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
221. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
222. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
223. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
224. राम करन आर्य, श्री बस्ती
225. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
226. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
227. राम गोविन्द, श्री बलिया
228. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
229. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
230. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
231. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
232. राम मगन, श्री बाराबंकी
233. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
234. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
235. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
236. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
237. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
238. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
239. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
240. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
241. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
242. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
243. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
244. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
245. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर

246. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
247. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
248. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
249. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
250. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
251. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
252. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
253. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
254. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
255. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
256. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
257. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
258. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
259. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
260. विजय सिंह, श्री रामपुर
261. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
262. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
264. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
265. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
266. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
267. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
268. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
269. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
270. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
271. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
272. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
273. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
274. शाकिर अली, श्री देवरिया
275. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
276. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
277. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
278. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
279. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
280. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
281. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
282. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
283. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
284. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
285. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
286. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
288. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
289. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
290. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
291. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
294. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
295. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
298. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
299. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
300. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
301. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
302. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
303. सियाराम सागर, डा0 बरेली
304. सीमा, श्रीमती जौनपुर
305. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
306. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
307. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
308. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
309. सुधाकर, श्री मऊ
310. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव

311. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
312. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
313. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
314. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
317. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
318. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
319. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
320. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
321. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
322. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
323. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
324. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
325. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
326. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
327. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

आज की कार्यसूची में कार्य-स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख होने के बावजूद प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम-56 की सूचना को लेने से मना किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज नियम-56 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल ले लेने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि चूंकि कार्यसूची में आज कार्यस्थगन का प्रस्ताव है कि आप उसको लेंगे और उसके कार्यसूची में होने के बाद जब हमने प्रस्ताव भेजा तो उसको लेने से इनकार कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न पहर समाप्त हो जाने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

यह व्यवस्था है मान्यवर, चूंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया इसलिए मेरा निवेदन सुन लीजिए चूंकि यह कार्यसूची में छपा है और कार्यसूची में छपा है कि आज नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायेंगी मान्यवर, आप कृपापूर्वक उसको लेंगे। आपने कृपापूर्वक इसको लेने के लिए तय कर लिया उसके बाद अगर हम नोटिस भेजते हैं और हमारी नोटिस स्वीकार नहीं की जाती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रदेश में मान्यवर, कानून-व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले प्रश्न तो लेने दीजिए। माननीय महाना जी कार्यमंत्रणा समिति में यह प्रस्ताव हुआ था, आप उसमें नहीं थे आपके नेता थे और उसमें यह तय हुआ था कि उस दिन केवल नियम-301 और 51 लिया जायेगा नियम-56 नहीं लिया जायेगा क्योंकि अन्तरिम बजट है, लेखानुदान अन्तरिम बजट की एक प्रक्रिया है। लेखानुदान है, लेखानुदान प्रस्तुत करके उसे पास कराया जायेगा और भी संकल्प हैं इसलिए तय हुआ था कि नियम-56 नहीं लिया जायेगा और वह कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव यहां पढ़कर सुनाया भी गया था। आप उससे अवगत होंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपके पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, कार्यमंत्रणा में जो कुछ तय हुआ होगा आपने उसे पढ़कर सुनाया, मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूची भी आज की कार्यसूची में नहीं लगी है, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूची भी प्रायः आपके पढ़ने के बाद कार्यसूची में लगी है और यह आपके द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार है। मान्यवर, आज की

कार्यसूची में आप देख लें, मद सं0-24 पर मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव यदि कोई हों तो उसे स्वीकार करने के लिए आपने कार्यसूची में रखा है और आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आप जहां ले जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मौका है आप पहले प्रश्न पहर लेने दीजिए, यह व्यवस्था जीरो ऑवर में उठाते हैं, इसलिए कृपया बैठ जाएं।

श्री सतीश महाना-

आपसे प्रार्थना है, आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार आप यह व्यवस्था दे दें कि आप हमारी बात को सुन लेंगे तो हम बैठ जायेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके आदेश का पालन करेंगे।

(मा0 नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं अभी खड़ा हुआ हूं बैठा नहीं हूं। नेता विरोधी दल को अधिकार है लेकिन मैं अभी खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियम यह है कि नेता विरोधी दल जब भी खड़े होंगे तो बाकी मा0 सदस्य बैठ जायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा आपसे केवल यह निवेदन है कि आप इस बात की व्यवस्था दे दें कि उस मद के समय जब आप मद सं0-24 पर पहुंचेंगे तो आप हमारी बात को सुन लेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें सुनें जरूर।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी नहीं कह ली।

श्री अध्यक्ष-

पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष को सुन लेते हैं हो सकता है कि यह भी उसी से सम्बन्धित हो।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 महाना जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया है, चूंकि मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई और उसमें तय किये गये मन्तव्य विधान सभा के पटल पर रखे गये और इस विधान सभा के सत्तापक्ष विपक्ष के साथ-साथ आपके

सचिवालय के जितने भी कर्मी यहां की कार्यवाही को लिपिबद्ध करते हैं वह भी इसके हिस्से हैं। आपके कार्यालय के द्वारा अवगत करा दिया गया कि नियम-56 त्रुटिवश एजेण्डे में छप गया है तो स्वाभाविक रूप से कभी-कभी भूल तो किसी से भी हो सकती है लेकिन जब कार्यमंत्रणा का मन्तव्य यहां पर सर्वसम्मति से पारित हो चुका है तो हम समझते हैं कि मा0 महाना जी को इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि पूर्व से तय हो चुका है कि आज नियम-301 और नियम-51 की सूचनाएं ली जायेंगी। इसलिए माननीय महाना जी की जो भी पीड़ा है, जब नियम-56 की सूचना ली जायेगी उस समय उनको आप सुन लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष की कोई सेटिंग सरकार से हो गयी होगी इसलिए इस महत्वपूर्ण बात को लेना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, आप वहां गये नहीं, आपके नेता गये थे, वहां तय हो गया था कि आज नियम-56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपके द्वारा यह व्यवस्था नहीं दी गयी कि यह त्रुटि के कारण आया, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा व्यवस्था दी गयी। इसका मतलब स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष और सरकार में कोई सांठ-गांठ है। इतने महत्वपूर्ण लॉ-एण्ड-आर्डर के प्रश्न पर भी नहीं सुनना चाहते। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि या तो आपके द्वारा यह व्यवस्था दी गयी होती। मान्यवर, कैसे बचा रहे हैं एक-दूसरे को इससे स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष उस कार्य-मंत्रणा समिति में थे और उसमें नेता भा0ज0पा0 भी थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस समय यह तय हुआ था उस समय नेता भा0ज0पा0 श्री हुकुम सिंह जी भी थे, आप तो थे ही नहीं। इसलिए यह बात रख करके अपने नेता का अपमान कर रहे हैं। महाना जी को कम से कम अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि जो कुछ वह कह रहे हैं कहीं उससे उनके नेता का ही सम्मान तो नहीं गिर रहा है। इसलिए यह आरोप बेबुनियाद है।

(श्री सतीश महाना जी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवधान करना चाहते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा नाम आया तो मुझे अपनी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, प्रश्न प्रहर होने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा की सिफारिश इस कार्यसूची में नहीं है। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर जिस प्रकार अपराध करते थे, आज की तारीख में फिर दोनों मिलकर अपराध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, बैठिये, आपकी बात आ गयी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप लॉ-एण्ड-आर्डर के ऊपर हमारी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम अभी नहीं सुनेंगे। यह प्रश्न प्रहर है इसे होने दीजिए। कार्य-मंत्रणा समिति में सर्व-सम्मति से तय हो गया था कि आज कार्य-स्थगन नहीं सुना जायेगा। आप बैठिये। अगर व्यवधान डालना चाहते हैं तो वैसे कहिये कि हम व्यवधान डालेंगे।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना सहित भा0ज0पा0 के कई सदस्य सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप भी महाना जी के चक्कर में पड़ गये। वैसे कहिये नहीं चलने देंगे। महाना जी, आप अपना उत्तर तो सुन लीजिए। यह एजेण्डे में स्थायी मद होता है और स्थायी मद छपता रहता है। उसमें यह लिखा है कि 'यदि कोई हो'।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, लॉ-एण्ड-आर्डर का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

लॉ-एण्ड-आर्डर है तो क्या करें ? महाना जी 24 फरवरी, 2014 को जब नियम-56 आयेगा तब आप अपनी बात कहियेगा, जो कहना होगा। 24 तारीख को आपको पूरा अधिकार है, उस दिन कहियेगा। अब आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य वापस अपने-अपने आसन पर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

प्रदेश में भुखमरी के कारण होने वाली आत्महत्याओं को रोकने की नीति

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भुखमरी के कारण होने वाली आत्महत्याओं को रोकने की सरकार ने क्या नीति बनाई है ? क्या सरकार को मालूम है कि नवम्बर, 2013 के आखिरी सप्ताह में ग्राम बस्तोली, जिला लखीमपुर खीरी निवासी 45 वर्षीय सत्यपाल ने जो कि तीन बच्चों का बाप था भुखमरी व गरीबी के कारण आत्महत्या

कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी आत्महत्याओं को रोकने के लिये कोई व्यवहांरिक, प्रभावी तथा कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता, राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

1-शासनादेश संख्या-126/1-11-2012-78(जी)/2006, दिनांक 20-04-2012 (छायाप्रति संलग्न)† द्वारा प्रदेश के जनपदों में भुखमरी से मृत्यु या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्तों/समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं।

सत्यपाल का ग्राम बस्तौली में पक्का मकान बना है एवं उनके पास 1.42 एकड़ कृषि भूमि है। मृतक के नाम ए0पी0एल0 का राशन कार्ड बना हुआ है। मृतक द्वारा लिखित सुसाइड नोट के अनुसार विभिन्न बैंकों से लिये गये कर्ज, बीमारी व रीढ़ की हड्डी में काफी दर्द रहने से अक्षमता को आत्महत्या का कारण बताया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राधेश्याम जी माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। आप अपने आसन पर जायं। मंत्री जी माननीय सदस्य को जरा समझाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आपने इस अल्पसूचित प्रश्न पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का मौका दिया मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर वस्तु स्थिति यह है कि जिस समय भूख से या गरीबी से या कर्ज से तंग आकर व्यक्ति सोसाइड कर लेता है आत्म हत्या कर लेता है उसके बाद यह बात पता चलती है। शासनादेश हमारे सामने है। शासनादेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगर कर्ज से तंग आकर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इस शासनादेश से कवर होना चाहिए लेकिन इसमें वह मैकेनिज्म नहीं बताया गया है कि सूचना का तंत्र क्या होगा यह तो है कि प्रधान को खण्ड विकास अधिकारी को एस0डी0एम0 को और जिलाधिकारी को, उत्तरदायित्व निर्धारित करके उसके लिए दण्ड दिया जाएगा लेकिन सूचना कौन देगा और सूचना किसको दी जाएगी यह शासनादेश उस बारे में मौन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूं। हमने स्पेसफिक घटना का उल्लेख किया कि इस व्यक्ति ने जो सत्यपाल है इसने सोसाइड नोट में लिखा है इसका सोसाइड नोट चार लाइन का है अगर अनुमति हो तो मैं इसे पढ़े देता हूं। सेवा में, थानाध्यक्ष भीरा, खीरी निवेदन है कि प्राथी कर्ज व बीमारी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। इलाहाबाद बैंक बिजुआ का एक लाख से ऊपर भूमि विकास बैंक का 70 हजार के आस-पास सहकारी समिति बस्तौली का 38 हजार रुपए तथा भीरा समिति का 20 हजार रुपया का कर्जा हमको देना है। यह इसने सोसाइड नोट में स्वीकार किया है। दूसरी

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-81 पर।)

बात जो बीमारी का जिक्र किया वह इसलिए किया कि उसकी रीढ़ में दर्द होने के कारण वह कोई काम करने के लायक नहीं था बीमारी से तंग आकर सोसाइड नहीं किया । सोसाइड किया कर्जे से इस विषय पर न तो ग्राम प्रधान ने किसी को सूचना दी न ही किसी अधिकारी को सूचना मिली । होता यह है कि जिस समय व्यक्ति सोसाइड कर लेता है उसके बाद पता चलता है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना है क्या माननीय मंत्री जी इस शासनादेश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे कि निश्चित रूप से किस व्यक्ति को सूचना दी जाए और कौन सूचना देगा ? हमारा सुझाव भी इस सम्बंध में है कि अगर गांव के चौकीदार को भी सूचना तंत्र के रूप में शामिल कर लिया जाय तो ज्यादा फेतफुल होगा मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल करिए कितनी देर से आप कहना चाहते हैं कि सवाल करना चाहता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सुरेश खन्ना जी ने सम्वेदनशील प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा है कि चौकीदार को भी इसमें सूचना तंत्र के रूप में सम्मिलित किया जाए तो चौकीदार को सूचना तंत्र में सम्मिलित कर लिया जाएगा। चौकीदार को भी कर लेते हैं।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सत्यपाल सिंह ने आत्महत्या की थी इनके ऊपर भीरा गन्ना समिति का पैसा भी बाकी था यह मूल रूप से गन्ना किसान थे वह बकाया था उसी के कारण इन्होंने आत्महत्या की । दो घटनाएं लखीमपुर जिले में और हुईं एक बालक ने हाईस्कूल पास किया था।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बंधित नहीं है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

यह गन्ना भुगतान से सम्बंधित है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पढ़ लें यह प्रश्न से सम्बंधित नहीं है।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि दो घटनाएं लखीमपुर में और भुखमरी और कर्जे के कारण हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

इन दोनों घटनाओं की सूचना मंत्री जी के पास नहीं होगी। जिसकी सूचना होती है उसी पर प्रश्न किया जाता है।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जितने भी किसानों के आत्महत्या के केस हैं क्या सरकार किसान बीमा योजना के तहत उनके आश्रितों को पैसा देने पर विचार कर रही है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने ऋण लेने वालों के द्वारा, आत्महत्या किये जाने से सम्बन्धित किया है। बीमारी के कारण या बेरोजगारी के कारण, ऋण लेकर अदा न कर पाने के कारण जो लोग आत्महत्या करते हैं तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार वैसे भी सम्वेदनशील है और जहां पर इस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं, तो उसमें बहुत से मामलों में हमारी सरकार ने आर्थिक मदद की है। अगर कहीं पर कोई इस तरह से आत्महत्या करता है तो उस पर विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में श्रमिक कालोनियों के लोगों को स्वामित्व प्रदान करने की मांग

*01-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्रमुख जनपदों-इलाहाबाद (नैनी, करैली), कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा मेरठ आदि में अध्यासित श्रमिक कालोनियों के मजदूरों/कमजोर आय वर्ग के लोगों को वहीं पर स्वामित्व प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-14024/17/77- एच-1/सी, नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 1978 पर अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हजारों मजदूरों/गरीबों को उनका हक दिलाने हेतु उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14024/17/77-एच-1/सी, नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 1978 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2788/36-4-94-16/1992, दिनांक 24 सितम्बर, 1994 व शासनादेश संख्या-515/36-4-95-16/1992, दिनांक 21-02-1995 द्वारा औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के गृहों के विक्रय का निर्णय लिया गया था, परन्तु प्रदेश में स्थित कुल 29587 गृहों में से मात्र 116 अध्यासियों द्वारा क्रय करने की सहमति देते हुए पूर्ण/आंशिक धनराशि जमा की गई, जिसके फलस्वरूप विक्रय योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1992 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में जहां पर श्रमिक कालोनियां थीं, वहां पर उन्होंने पूरा पैसा दिया और 75 प्रतिशत गृह निर्माण और भूमि-अर्जन के लिये दिया और यह कहा गया कि जो मजदूर इसमें रह रहा होगा हायर परचेज के आधार पर बाद में उनको विक्रय कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में 1978 में एक शासनादेश जारी हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि आप इन लोगों को जो उसमें अध्यासित हैं और काम कर रहे हैं उनको दे दिया जाय। 1994 में जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया और 1995 से जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 29587 गृहों में से मात्र 116 अध्यासियों ने इसके लिये अपनी धनराशि जमा की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कि 1995 में इनके विक्रय के लिये क्या मानक बनाया गया था और दूसरा यह कि 29587 मकानों में से इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में कितने मकान हैं ? और वहां पर कितने लोगों ने इसके लिये आवेदन किया धनराशि जमा की ? मान्यवर, वहां स्थिति यह है कि जो श्रमिकों की कालोनी है और जमीन है उसको पी0ए0सी0 वालों को हस्तान्तरित कर दिया गया और अभी पिछले 2010 में जो बाकी जमीन थी उसको भी पी0ए0सी0 को देने की बात बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने की। इसका बहुत विरोध किया गया। मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 1995 के मानक क्या हैं और इलाहाबाद में कितने उसमें अध्यासी हैं, कितनों ने धन जमा किया ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 29587 आवास निर्मित कराये गये थे। मान्यवर, अधिकृत जो मजदूरों को आवंटन मिला और आज जो कब्जे में हैं उनकी संख्या मात्र 465 है। 24 हजार 452 लोग अवैध ढंग से आवासों पर कब्जे किए हैं। जब विक्रय के लिए सरकार ने चाहा कि विक्रय कर लिया जाए इनको दे दिया जाए, तो इनमें से बहुत कम लोगों ने मान्यवर, एक सौ कुछ लोगों ने अपना प्रार्थना-पत्र दिया और कुछ आंशिक पैसा इसके सापेक्ष जमा किया। क्योंकि इसमें अधिकांश लोग अवैध कब्जा किए हैं जो मजदूर नहीं हैं । यह मकान दस रुपये से लेकर 42 रुपये मासिक किराए पर मकान हैं इसमें कौन-कौन लोग रहते हैं मैं उसको जानता हूं और महाना साहब भी उसको अच्छी तरह जानते हैं। ज्यादातर कानपुर में मकान बने हैं सब जगह पर सम्पन्न लोग, सभी जगह पर अवैध कब्जे, बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर मान्यवर, यह अवैध कब्जा किए बैठे हैं। जिनको खाली कराने के लिए मुकदमें भी चल रहे हैं मान्यवर, मैं अनुग्रह जी से और सभी मा0 सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अगर यह खाली हो जाएं तो बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जाए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें गोरखपुर का उल्लेख हुआ है और गोरखपुर में लेबर कालोनी है। 1995 में संभवतः मा0 मुलायम सिंह यादव जी श्रम मंत्री हुआ करते थे। मुख्य मंत्री के साथ-साथ श्रम मंत्री का दायित्व भी उन्हीं के पास था और 6 दिसम्बर 1995 को तीन प्रमुख अखबारों में विज्ञापन गजट किया गया था। उन लोगों से जो उन कालोनियों में रहते हैं उनसे आवेदन मांगा गया था। गोरखपुर के 27 लोगों ने एक मुश्त धनराशि जमा कर दी। 19 लोगों ने पांच किश्तों की शर्त पर जमा कर दिया और एक व्यक्ति ने दस किश्तों की शर्त पर जमा कर दिया। पैसा तो सरकार ने ले लिया और लेने के बाद सरकार चुप बैठ गई। जिन लोगों ने एक मुश्त पैसा जमा किया था उनको उनका अधिकार दे दिया जाना चाहिए था। अगर वह गलत थे तो उनको बता देना चाहिए था कि आप गलत हैं। जिन लोगों ने पांच किश्तों की बात स्वीकार की थी उनकी अगली किश्त जमा कराई जानी चाहिए थी। श्रीमन् 1995 से यह प्रकरण चल रहा है तबसे न तो इनका पैसा वापस हुआ और न इनको भूमि का अधिकार दिया गया। आज पुनः वही सरकार सत्ता में है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिन बेचारे नागरिकों ने 1995 में इनको पैसा जमा किया था आज तक इन्होंने नहीं कहा कि वह गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं

आज यह कह रहे हैं कि यह गैर कानूनी रूप से रहे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की तय होगी उन नागरिकों की नहीं होगी उनकी कोई गल्ती नहीं है। कम से कम यह तो तय है कि 1995 से वह रह रहे हैं मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि 1995 में जिन लोगों ने सरकार के गजट को स्वीकार करते हुए पैसा जमा किया है मैं स्पेसिफिक गोरखपुर का प्रकरण दे रहा हूं सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, गोरखपुर के मोहद्दीपुर मोहल्ले में 108 इस तरह के आवास निर्मित कराए हैं। 108 में मान्यवर, 100 अनधिकृत रूप से कब्जा किए हैं और जो आठ बचते हैं उसमें श्रम विभाग के कार्यालय हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, यह आरोप नागरिकों पर नहीं लगा रहे हैं यह आरोप अपनी सरकार पर लगा रहे हैं।

श्री बलराम यादव-

इनका कब्जा हटाने की कार्यवाही कोर्ट में चल रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, उस समय जो श्रम मंत्री हुआ करता थे यह उस पर आरोप लगा रहे हैं। यह तत्कालीन श्रम मंत्री की अक्षमता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। श्रम मंत्री जानते थे कि वह आवास अवैध हैं उसके बाद भी वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे। इस पर मैं सरकार का मन्तव्य जानना चाहूंगा।

श्री बलराम यादव-

श्रीमन् जब इस तरह की चीजों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है श्रम मंत्री कौन थे और श्रम मंत्री कैसे थे, उनको डा0 साहब का सार्टिफिकेट नहीं चाहिए उन अनधिकृत कब्जेदारों के खिलाफ अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने पैसा जमा किया, क्या आपने उनका पैसा वापस किया ? आप उनका पैसा लेकर रखे हुए हैं, यदि अनाधिकृत रूप में लोग उसमें रह रहे थे तो जिन लोगों ने उसके लिए पैसा जमा किया था, उनका पैसा वापस कर दिया होता। 1995 से आप उनका पैसा भी रखे हुए हैं, उनका पैसा भी वापस नहीं किया और उनको मालिकाना हक भी नहीं दिया, अगर आज उस पैसे को जोड़ दिया जाए, ब्याज सहित, तो वह कितनी राशि हो जायेगी, क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई निर्णय लेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप का सवाल है कि जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया था, उनका पैसा भी वापस नहीं किया गया, क्या इस सन्दर्भ में शासन कोई निर्णय लेगा ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, उनके कब्जे विवादित हैं। इसमें एक विज्ञापन निकला था कि इस श्रेणी में जो लोग हों, वह इनका मालिकाना हक लेने के लिए इन-इन शर्तों के साथ पैसे जमा कर दें, क्योंकि अनाधिकृत कब्जेदारों ने भी उसमें अप्लाई कर दिया और पैसा जमा कर दिया है। हम इसको दिखवा लेंगे लेकिन वह कब्जा छोड़े तो।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, बनारस में जो लेबर कालोनी हैं, 20 साल उसको बने हुए हो गए हैं, उनकी मेन्टीनेंस न नगर निगम करता है, न बीडीए करता है, जो स्थापना की नीति है, उसका उपयोग नहीं होता है तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि 20 साल से कालोनी बनी है, उसका स्तर बहुत खराब हो गया है, उसका मेंटीनेंस किससे करवाया जाए ? नगर निगम मना करता है, स्थापना निधि मना करता है, आवास विकास, विकास प्राधिकरण उसका मेंटीनेंस कराता नहीं है, फिर उसका मेंटीनेंस किससे कराया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि सब अनाधिकृत कब्जा है तो अनाधिकृत कब्जे का कौन अनुरक्षण करायेगा, आप ही बताओ ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आप भी श्रम मंत्री रहे हैं और इसको आपने बड़ी नजदीकी से देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिक कालोनियों का रखरखाव 1995 से बन्द कर दिया गया, लगभग 19 वर्ष हो गए हैं, इसमें बहुत बड़ा विवाद है, जो कर्मचारी थे, लेबर श्रमिक थे, उन श्रमिकों के नाम वह आवंटित थे, उनसे पिछले 02 वर्षों तक किराया लिया जाता रहा है, लेकिन रखरखाव आपने 20 वर्ष पूर्व ही बन्द कर दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न के द्वारा निवेदन करूंगा कि जब यह तय हो गया था कि जो व्यक्ति वहां पर एलाटी था, उसमें रह रहा था, आज भी वह श्रमिक की श्रेणी में है, भले ही तमाम फैक्ट्रियां बन्द हो गयी हैं, लेकिन आज भी कानपुर महानगर में 18-19 हजार ऐसी कालोनियां हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरी सुनिश्चित जानकारी है, मैं इस बात को सदन में कह रहा हूं कि सरकार ने पुनः उस प्रक्रिया को प्रारम्भ करके उनको मालिकाना हक देने पर विचार किया था। मेरे द्वारा विधान सभा में इस सन्दर्भ में प्रश्न उठाया गया था तो कृपापूर्वक मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह कहा था कि उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक कमरे में रहने वाले वह श्रमिक बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, शायद आप को ध्यान है या नहीं है। मान्यवर, एक कमरे में रहने वाला कोई श्रमिक बीएमडब्ल्यू से कैसे चलेगा और अगर 18-19 हजार में से 100-200 चल भी रहे हैं तो क्या उन 29 हजार लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है ? इसलिए मान्यवर, वह 29 हजार लोग जो कल भी श्रमिक थे, दुर्भाग्य से न तो उनकी स्थिति ऊपर उठी है और आज भी वह श्रमिक की श्रेणी में ही आते हैं, चाहे उनके बच्चे- हजार, दो हजार, तीन हजार रुपये की नौकरी कर रहे हों, चाहे वह ठेला चला रहे हों या पान मशाला बेंच रहे हों, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक

स्पेशिफिक प्रश्न करना चाहता हूं, उसी प्रक्रिया को चालू करने के लिए इसी विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह लिखकर दिया हुआ है कि उनको मालिकाना हक देने पर विचार किया जा रहा है, यह मान्यवर, हमें विधान सभा से उत्तर मिला है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर पुनर्विचार करके इस समय वहां के रहने वाले लोगों को विभिन्न-विभिन्न श्रेणी का भिन्न-भिन्न रेट निर्धारित करके जो उनको मालिकाना हक देने पर विचार कर रहे थे, क्या उसको आगे बढ़ाकर जो श्रमिक वहां पर रह रहे हैं, उनको उसका मालिकाना हक अपनी नीति के अनुसार देने पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री बलराम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह इतनी बड़ी संख्या में बनी श्रमिक कालोनियों में मात्र 465 लोग अधिकृत हैं और उन श्रमिकों को यह आवास दिये गये थे जो बड़ी-बड़ी मिलों में काम करते थे या जो इस तरह के श्रमिक थे। 10-10 रूपये में दिया गया था। कालान्तर में जब उनकी सेवाकाल अवधि समाप्त हो गयी या मिलें बंद हो गयी तो उनके जाते समय अन्य लोग जिनमें बड़े-बड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट लोग भी हैं। मतलब कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कभी यह बात कही कि बी0एम0डब्ल्यू0 में चलने वाले लोग भी उन कालोनियों में रहते हैं और इन्हीं कारणों से यह समस्या बनी हुयी है। अगर यह कालोनियां खाली हो जायें तो मैं समझता हूं कि कानपुर का चेहरा ही बदल जाये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन 29 हजार कालोनियों में आप इस बात की जांच करा लेंगे कि कितने मजदूर श्रेणी के लोग आज भी उसमें रहते हैं और जो मजदूर श्रेणी के लोग आज भी वहां रहते हैं तो क्या आप उनको उनका मालिकाना हक बिना मूल्य के देने का प्रयास करेंगे और दूसरी बात कि दूसरी श्रेणी बनाकर उनके लिए आप क्या नीति बनायेंगे। क्योंकि कोई न कोई नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि उन 29 हजार लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। आप उनको रेगुलराइज करने की प्रक्रिया तेज करेंगे ?

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रमिक कालोनियों में रहने वाले जो लेबर हैं उनकी मिले जो अचानक बंद हो गयी तो उनका फण्ड, ग्रेच्युटी यह सब भी रह गया, वह भी उनका अधिकार बनता है तो जब इसका समायोजन किया जाये तो उनके फण्ड, ग्रेच्युटी और पेंशन का भी उसमें समायोजन किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अरे, यह प्रश्न नहीं बनता है। मा0 मंत्री जी, महाना जी का सवाल यह है कि जो 29 हजार कालोनियां हैं, आप कह रहे हैं कि चौर सौ कुछ लोग उसमें अधिकृत रूप से रहते हैं और सब अनधिकृत हैं तो क्या आप इसकी जांच करा लेंगे कि कितने अनधिकृत हैं ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, जांच करा लेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी सरकार मजदूरों और मजलूमों की रहनुमा है और यह श्रमिक कालोनियां केवल श्रमिकों के लिए हैं। आपने भी स्वीकार किया और तमाम सवाल भी आये कि तमाम कल कारखाने बंद हो गये और वह मजदूर बेरोजगार हो गये और उन्होंने कोई दूसरा काम करना वहां शुरू कर दिया और 1952 से लेकर वह या उनका परिवार उसमें रहता चला आ रहा है। इन परिस्थितियों में जिनको मकान एलाट हुआ था वह मजदूर थे अगर आज उनका परिवार वहां रह रहा है, उनको चिन्हित कराकर और उन लोगों को उनका अधिकार जो भारत सरकार का 1978 का शासनादेश है। चूंकि इसमें ज्यादा पैसा भारत सरकार ने दिया था, इस आधार पर उनको मकान आवंटित कराने का काम करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऋण दिया था और अनुदान का मामूली सा हिस्सा था। जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अगर वह स्वयं उसमें रह रहे हैं तो जैसा मा0 सदस्य ने कहा उसको दिखवा लिया जायेगा और जैसा भी उनके लिए संभव होगा कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों पर अकुंश लगाये जाने के निर्देश

*02-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर अंकुश लगाने हेतु पहले से ही कार्य योजना विद्यमान है। इस सम्बन्ध में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं, जिनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? सरकार कह रही है, जी नहीं और जब जी नहीं है तो प्रश्न उठता ही नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि आपको मंहगाई के ऊपर नियंत्रण करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी मर्जी ही नहीं है। मान्यवर, रोज इस बात को कहा जा रहा है और यह वास्तविकता है कि प्रदेश के अन्दर खाद्य पदार्थो की मंहगाई रोज बढ़ रही है, सब्जी के दाम एक दिन दूसरे होते हैं,

अगले दिन बाजार में जाओ तो दूसरे होते हैं, प्याज के दाम के ऊपर मान्यवर, देश में हाहाकार मच गया, सौ रुपये से ऊपर मान्यवर, प्याज बिक गया, दलहन के दाम बढ़ गये, तेल के दाम बढ़ गये, आटा के दाम बढ़ गये, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं खाद्य पदार्थ में जिसके दाम न बढ़े हों। मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसके ऊपर वहां पर जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी में हैं, आपको लगता तो नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, क्या आपकी जानकारी में है कि पिछले कुछ दिनों में खाद्य सामग्री के मूल्य बढ़े हैं, इसका स्पेशफिक उत्तर हां या न में दें और यदि बढ़े हैं तो आपके इस शासनादेश जिसको आपने नीचे लिखा है, उसके ऊपर कोई प्रभावी कार्यवाही करने में, उसको रोकने में सफल हुए है कि नहीं, दो बातें मान्यवर बता दें।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने स्वयं किये हुए प्रश्न को ही घुमा-फिरा कर प्रस्तुत किया है, देखिये आपने यह नहीं पूछा कि कोई योजना है, आपका प्रश्न यह था कि क्या कोई योजना प्रस्तावित है। इसमें हमारा उत्तर आया है कि योजना प्रस्तावित इसलिए नहीं है क्योंकि योजना पहले से ही विद्यमान है। अब आप उसको कह रहे हैं कि सरकार यह कह रही है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो आप पहले अपना किया हुआ प्रश्न स्वयं पढ़ें और मा0 अध्यक्ष जी, हमको तो लगता है कि महाना जी इतने हंसमुख और इतना वाकपटु रहे हैं, लेकिन आज सुबह से कुछ उलझे-उलझे क्या नजर आ रहे हैं। यह शोध का विषय हैं, आज यह निश्चित भाभी से झगड़ा कर के यहां आये हैं, अब उनके सामने तो इनकी चलती नहीं, यहां सदस्यों से उलझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज वह अपनी पार्टी के नेता हैं।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, सीधा सा प्रश्न है और उसका सीधा सा उत्तर है कि कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है, यदि नहीं तो क्या, प्रश्न नहीं उठता। जितनी कार्यवाहियां की गई हैं, उनका पूरा ब्योरा है, जिलाधिकारियों को जो समय-समय पर निर्देश और मण्डलायुक्तों को दिये गये हैं, उनकी जी0ओ0 की कापी है, जमाखोरी के खिलाफ जितनी भी कार्यवाही की गई है, उसका अगर आप डिटेल चाहें तो वह सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अपने किये हुए प्रश्न को घुमा कर के आप क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका प्रश्न है कि क्या कोई योजना प्रस्तावित है, तो उस पर हमने नहीं कहा है, क्योंकि योजना पहले से विद्यमान है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने पहले का तो उत्तर दे दिया, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या मा0 मंत्री जी की जानकारी में है कि खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, यदि हां तो आपके जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त उसको रोकने में कितने सफल हुए हैं और क्या काम किये हैं, यह बतायेंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, समय-समय पर बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिये जाते रहे हैं और जिलाधिकारियों द्वारा मण्डलायुक्तों द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाहियां भी की जाती हैं और जैसा कि आपने प्याज का नाम लिया तो प्याज के मूल्य में हो रही वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाये गये और अब आप देखते हैं कि जो बढ़े हुए दाम थे, वह काफी कम हुए हैं प्याज के। तो समय-समय पर जब आवश्यकता समझी जाती है, यह सरकार कार्यवाही करती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे इधर बैठे सदस्य हों, चाहे उधर बैठे सदस्य हों, मंहगाई से मान्यवर, सभी प्रभावित हैं, ऐसी कोई योजना जो निष्प्रभावी साबित हुई हो, दो वर्ष में क्या मा0 मंत्री जी इस योजना के सम्पूर्ण रूप से बदलने को तैयार है नम्बर एक और नम्बर दो मान्यवर डीजल की मंहगाई, डीजल के ऊपर 17 रुपये 23 पैसे टैक्स लिया जाता है, डीजल की मंहगाई पूरे मंहगाई के सेनेरियो को प्रभावित करती है ट्रान्सपोर्टेशन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इण्डस्ट्री प्रोडक्शन को इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि डीजल के ऊपर जो 17 रुपये 23 पैसे, 17.23 परसेण्ट टैक्स लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना।

मान्यवर, प्रश्न से सम्बन्धित है। मान्यवर, दो साल में जितनी भी योजनायें हैं, जितनी योजनायें, जितने शासनादेश हैं मंहगाई के सम्बन्ध में वह सारे निष्फल साबित हुये। मान्यवर, उसका कोई प्रतिफल देखने को नहीं मिला। कागजों पर आदेश दे दिया, सरकारी जवाब है। मान्यवर, माननीय राजा भैय्या 1993 से इस हाउस को देख रहे हैं। इधर भी रहे, उधर भी रहे। बहुत विद्वान सदस्य हैं, बहुत जानकार हैं। इस विभाग के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं तो मैं इनसे सीधा-सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो शासनादेश निष्प्रभावी हों तो मान्यवर, क्या उसको ये बदलने के लिये तैयार हैं, क्या उसको बदलने पर विचार करेंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, मूल प्रश्न को कितना भी खींचतान लिया जाये लेकिन आपका यह प्रश्न अनुपूरक में नहीं आता है, मा0 सदस्य का। यहां बात खाद्य पदार्थों की हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुये दाम के लिये केन्द्र सरकार जिम्मेदार है और कपड़े से लेकर, खाने से लेकर हर चीज पर इसका असर पड़ता है लेकिन खाद्य पदार्थ का यह मूल प्रश्न है इसलिये निवेदन है कि इनका यह प्रश्न अनुपूरक में नहीं आता है। अगर डीजल खाद्य पदार्थ में आता हो, पेट्रोल पिया जाता हो तब फिर यह सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, जब अनुपूरक में नहीं आता था। मैंने माना नहीं तो आपको जवाब नहीं देना चाहिये था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह था कि ऐसा निर्देश और ऐसा शासनादेश जो निष्फल रहा हो उसको बदलने पर आप विचार करेंगे ? इनका शासनादेश किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं है इसलिये मान्यवर, बदलना चाहिये और वह निर्देश देना चाहिये जो प्रभावी हो।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी केन्द्र सरकार को आरोपित किया डीजल के प्राइस को लेकर। राज्य सरकार जो वैट लगाती है, वह वैट उत्तर प्रदेश में डीजल के ऊपर सबसे ज्यादा है। मान्यवर, आपके उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की जो वैट की नीति है उसका पूरा-पूरा असर पूरे प्रदेश में मंहगाई पर पड़ रहा है।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। मान्यवर, बस केवल आखिरी प्रश्न है। मान्यवर, क्योंकि मेरा स्पेशिफिक प्रश्न था कि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मंहगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये जानते हैं कि बढ़ी है लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बढ़ी है। जब ये मान ही नहीं रहे हैं कि मंहगाई बढ़ी है तो उस पर अंकुश लगाने के लिये सरकार किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं है। इसके विरोध में मैं और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी मा0 सदस्यों ने सदन से गहिर्गमन किया।)

प्रदेश में खाद्य पदार्थों व दूध में मिलावट की रोक-थाम के उपाय

*03-डा0 अरुण कुमार तथा श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों विशेषकर दूध में मिलावट की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य पदार्थों तथा दूध में मिलावट की जांच के लिये मण्डल स्तर पर जांच प्रयोगशालायें स्थापित कर मिलावट की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री कैलाश)-

जी हां।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं सतत् प्रवर्तन की कार्यवाही कर सन्देहास्पद खाद्य पदार्थों तथा दूध का नमूना संग्रहीत किया जाता है। संग्रहीत नमूनों को जांच हेतु जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 75 जनपदों के सापेक्ष 05 प्रयोगशालायें (राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ एवं 04 क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालायें क्रमशः मेरठ, आगरा, वाराणसी तथा गोरखपुर) क्रियाशील हैं तथा झांसी में प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इस व्यवस्था से खाद्य पदार्थों/दूध में मिलावट की जांच सुगमता पूर्वक की जा रही है। इसलिए प्रत्येक मण्डल पर प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने का सम्प्रति औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अरूण कुमार जी, मा0 मनीष असीजा, ये तो सब बहिर्गमन कर गये, अब उत्तर कहां से आयेगा। मा0 अरूण कुमार जी, आप आ गये, अच्छा ठीक है। मा0 मंत्री जी, अरूण कुमार जी है। आप उत्तर दे दीजिये, वो आ गये।

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, यह दूध में मिलावट जघन्य अपराध है लेकिन मिलावट में दूध उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध है। ये जो सिंथेटिक दूध है इसे मैं मिलावट में दूध ही कहूंगा और मैं समझता हूं कि क्या आपके संज्ञान में है कि जो सैम्पल आपके लोगों ने पकड़े क्या उनमें कोई केस सिंथेटिक दूध के भी पाये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त है। हमारा कानून भी सख्त है। उनको क्या सजा हुई ? दूसरी बात मिलावट की जांच के लिए पांच प्रयोगशालाएं हैं तथा छठी बन रही है। क्या इतने बड़े प्रदेश के लिए यह नाकाफी नहीं हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट आने में 6-6 महीने लग जाते हैं खासतौर से त्यौहार के मौके पर जब ज्यादा टेस्ट कलेक्ट किये जाते हैं और नमूने खराब हो जाते हैं, छः-छः महीने तक रिपोर्ट नहीं आती है और अपराधी बच जाते हैं। क्या सरकार इस बात पर गौर नहीं करेगी की हरेक मण्डल में एक-एक लैब बनाई जाए ताकि रिजल्ट जल्दी आए और जल्दी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जाए ?

श्री अध्यक्ष-

एक-एक करके पूछिए ना सब एक ही बार पढ़ डालेंगे।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, मैंने दो सवाल किए हैं, और दोनों एक बार में कह दिए हैं।

श्री अध्यक्ष-

पहला सवाल यह है कि क्या हर मण्डल पर प्रयोगशाला बनाई जायेगी ?

डा0 अरूण कुमार-

नहीं मान्यवर, मेरा पहला सवाल यह है कि दूध में मिलावट एक अपराध है, लेकिन मिलावट में दूध यानि सिन्थेटिक दूध उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध है। क्या सरकार के संज्ञान में है कि सिन्थेटिक दूध भी यू0पी0 में बन रहा है।

श्री अध्यक्ष-

पहले इसका उत्तर ले लीजिए। मा0 मंत्री जी, क्या उत्तर प्रदेश में सिन्थेटिक दूध बन रहा है, वे पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कैलाश-

ये दूध के नमूने हमेशा लिए जाते हैं और उसकी जांच हमेशा होती है। जिला स्तर पर भी इसकी कमेटियां हैं। वह भी उसका सैम्पिल लेती हैं। वर्ष 2013 में ये नमूने लिये गए 553, जिसमें 145 नमूने मानकों के विपरीत पाये गए, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में 673 नमूने लिये गए जिसमें से 216 नमूने मानकों के विपरीत पाये गए और उस

पर भी कार्यवाही करने की क्रिया हुई और बार-बार जिले स्तर पर और जो हमारे प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी बनी है वह मॉनीटरिंग करती रहती है और जब त्यौहार आते हैं तब मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, एस0डी0एम0 उनके द्वारा और जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा छापे मारकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, समय-समय पर।

डा0 अरूण कुमार-

क्या सिन्थेटिक दूध यू0पी0 में बन रहा है या नहीं किसी फैक्ट्री में पकड़ा गया है कि नहीं।

श्री कैलाश-

ज्यादातर सिन्थेटिक दूध के नमूने में अभी जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो रहा है इस साल का अभी कोई नमूना नहीं आया है। उसके आने के बाद आपको सूचना दी जायेगी और इसके अलावा एक प्रश्न आपका जो और है कि प्रयोगशालाएं मण्डल स्तर पर बनाने का, उसके सम्बन्ध में बतानाा चाहूंगा कि भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार 20 जनपदों में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का है, जिसमें से पांच हमारी प्रयोगशालाएं लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर इस तरह से पांच हैं और छठवीं प्रयोगशाला के लिए झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है। उसके सारे काम पूरे हो चुके है, भारत सरकार के द्वारा उसकी अनुमति मिलती है। छठवीं प्रयोगशाला भी शुरू हो जायेगी। अब भारत सरकार के मानक के अनुसर हम मण्डल स्तर पर कोई दुग्ध प्रयोगशाला स्थापित नहीं कर सकते हैं।

डा0 अरूण कुमार-

मेरा प्रश्न है कि क्या सिन्थेटिक दूध यू0पी0 में बन रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

अब इसका उत्तर आ गया है कि अभी तक जो प्रयोगशाला में गया है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें सिन्थेटिक दूध नहीं पाया गया, इस पर उनका उत्तर आ गया।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मक्खन, सबको पता है कि दूध से बनता है लेकिन यहां पर डालडे से बना हुआ मक्खन बाजार में बिक रहा है। ये मक्खन साफ-साफ लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, यह मिलावटी मक्खन जो बाजार में आ रहा है, क्या इसको रोकने पर, इस पर प्रतिबंध लगाने पर सरकाार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, यह जो बनावटी मक्खन है, उस पर रोक लगाने पर सरकार विचार करेंगी ?

श्री कैलाश-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन अगर उनको कोई स्पेशिफिक जानकारी हो, तो लिख कर के दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

श्रीमन्, बाजारों में जाइये खुले आम मिलावटी मक्खन बिक रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा है कि आप लिखकर के दे देंगे तो वह उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो नमूने लिये जाते हैं उनकी रिपोर्ट जल्दी नहीं आती है, वह 6-8 महीने में आती है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कुछ व्यवहांरिक कदम उठायेंगे जिससे कि जो दूध के नमूने लिये जाते हैं उनकी जांच रिपोर्ट जल्दी आ जाये। अगर रिपोर्ट जल्द आयेगी तो उसमें कार्यवाही भी जल्द हो जायेगी और उससे शायद यह मिलावटी का कार्य रुक जाये।

श्री कैलाश-

मान्यवर, जो हमारी प्रयोगशालायें हैं वह 20 जनपदों में हैं। इसमें यह प्रक्रिया है कि जैसे एक जनपद में प्रयोगशाला है तो वहां के नमूने उसमें नहीं भेजे जाते हैं वह दूसरे जनपद की प्रयोगशाला में जांच के लिए जाते हैं ताकि सम्बन्धित लोग उसमें अन्यथा कुछ न करा सकें। मान्यवर, यह सरकार चाहती है कि जो नमूने लिये जाते हैं उनकी रिपोर्ट जल्द आ जाये और उसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो। मा0 सदस्य ने जो कहा है इस पर विचार किया जायेगा, अगर इस तरह की कोई बात है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्नों का कार्य समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के होम्योपैथिक पद्धति के उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग

01-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य है, किन्तु होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार हेतु उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग-3 के प्रस्तर-14 के अनुसार ''सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथिक, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य

नोट :-तारांकित प्र0सं0-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।'' आयुर्वेद पद्धति से सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के लिए शासनादेश संख्या-332/71-2-2004-609/2004, दिनांक 25 जनवरी, 2005 निर्गत किया गया है।

होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संदर्भ में व्यवहांरिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाना होगा।

समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्राविधानों को लागू किये जाने की मांग

02-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार गरीबों को खाद्यान्न वितरण की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीबों के हित में अविलम्ब प्रक्रिया शुरू करेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों को प्रदेश में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा मढ़िया में जल निकासी सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

03-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा मढ़िया वि0ख0 नियामताबाद में जल निकासी के सम्बन्ध में ग्रामवासियों तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख 5 नं0/321515 दिनांक 25-11-2013 पत्रांक संख्या-205, जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जल निकासी के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली को निर्देश दिये गये। प्रश्नगत कार्य वर्तमान में किसी कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा सतपोखरी में जल निकासी सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

04-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सतपोखरी वि0ख0 नियामताबाद में जल निकासी के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान सतपोखरी एवं प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग 5 नं0/ 140609, दिनांक 26-11-2013 पत्रांक संख्या 206 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जल निकासी के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली को निर्देश दिये गये। प्रश्नगत कार्य वर्तमान में किसी कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ब्लाकों में हो रहे अवैध खनन का कथित प्रकरण

05-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी, पसगवां, ईसानगर, धौरहरा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में रेत-बालू तथा मिट्टी खनन के पट्टे किस-किस को ग्राम सभावार दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त स्थलों पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनवाये जाने की मांग

06-श्री संजय कपूर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनाने के लिए भूमि चयनित कर ली गयी है परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिसके कारण मार्ग पर बराबर जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर रोडवेज का बस अड्डा बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु अभी तक भूमि चयनित न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। वर्तमान में परिवहन निगम की बसें राजस्व विभाग की भूमि पर स्थित पुराने चिकित्सालय भवन से अस्थायी रूप से संचालित हो रही है। उक्त अस्थायी बस स्टेशन आबादी के मध्य स्थित होने के कारण कभी-कभी जाम लग जाता है।

बस अड्डे का निर्माण उपयुक्त भूमि के चयन पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी धान एवं गेहूं क्रय केन्द्र मानक के अनुसार स्थापित कराये जाने की मांग

07-श्री दीपक पटेल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी धान एवं गेहूं क्रय करने हेतु क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने के क्या मानक हैं ? क्या यह सही है कि जनपद इलाहाबाद के करछना एवं बारा तहसील में मानक के अनुसार क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों तहसीलों में मानक के अनुसार क्रय केन्द्र खुलवायेगी ? यदि हां, तक कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान/गेहूं की आवक की स्थिति का आंकलन करते हुए क्रय केन्द्रों का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। क्रय केन्द्रों के स्थल चयन में सार्वजनिक स्थानों यथा सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी स्थल, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवं सरकारी भवनों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है।

जिलाधिकारी द्वारा गांवों का केन्द्रों से सम्बद्धीकरण करते समय यथासम्भव यह ध्यान रखा जाता है कि किसानों को अपने धान/गेहूं के विक्रय के लिए 08 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

जनपद इलाहाबाद के करछना तहसील में क्रय एजेन्सियों के 10 एवं बारा तहसील में 13 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जो धान खरीद के दृष्टिगत पर्याप्त हैं।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में इन्सेफ्लाइटिस के मरीजों की जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

08-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस के मरीजों की जांच की सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो किन-किन जांचों के सैम्पल उच्च जांच केन्द्रों में भेजे जाते हैं ? क्या सरकार सभी जांचों को पूर्णतया गोरखपुर मेडिकल कालेज में ही कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर परिसर में इन्सेफ्लाइटिस के मरीजों की जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एन0आई0वी0, पुणे की गोरखपुर में स्थापित एन0आई0वी0 शोध संस्थान द्वारा मात्र शोध कार्य हेतु सी0एस0एफ0 और ब्लड के वायरस के सैम्पल एन0आई0वी0 पुणे भेजे जाते हैं।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में जांच की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की ग्राम पंचायत पांकबड़ा में पर्याप्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था

09-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद की कांठ विधान सभा की ग्राम पंचायत पांकबड़ा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 40,000 पर मात्र एक सफाई कर्मी होने के कारण सफाई का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत पांकबड़ा में पर्याप्त सफाई कर्मियों को नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

ग्राम पंचायत पांकबड़ा विधान सभा कांठ की सबसे बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायत है, जिसकी वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 24797 जनसंख्या है। इस ग्राम पंचायत में कुल 01 राजस्व ग्राम है। निर्धारित मानक के अनुसार एक राजस्व ग्राम में एक ही सफाई कर्मी की नियुक्ति की गयी है तथापि समय-समय पर विकास खण्ड स्तर से कर्मचारियों का ग्रुप बनाकर इस ग्राम की विशेष रूप से सफाई करायी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के बस स्टैण्ड में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराये जाने की मांग

10-श्री सुदेश शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर बस स्टैण्ड अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यहां यात्रियों के लिए शेड, शौचालय, पीने के पानी, विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड को डिपो बनाकर यात्रियों हेतु उक्त सुविधा की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मोदीनगर बस स्टैण्ड की दशा संतोषजनक है। यहां यात्रियों के लिए शैड, सुलभ शौचालय बना हुआ है। पीने के पानी के लिए इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगा हुआ है।

डिपो निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। यात्री सुविधायें उपरोक्तानुसार सन्तोषप्रद है।

प्रश्न नहीं उठता।

(11.50) नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं। आज दिनांक 21-2-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गयी :--

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की है जो इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यो को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित है। दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी की है जो जनपद वाराणसी में लकड़ी के खिलौने के उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह जी की है। वह अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है जो प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व मा0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में रसोइयों की नियुक्ति हेतु नई चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में है वह उपस्थित है। पांचवी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' जी की है जो आयुष चिकित्सकों द्वारा मरीजों को इलाज हेतु एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वह उपस्थित हैं। छठीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है वह नहीं है, सातवीं सूचना श्री राघव लखन पाल की जनपद सहारनपुर को नगर निगम की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के थाना स्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में कठेला को माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी ब्लाक न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री सुशील सिंह की वह उपस्थित नहीं है, ग्यारहवीं सूचना श्री कमाल युसूफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज मं पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यो को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री राज कुमार रावत है, वह नहीं हैं, पन्द्रहवीं सूचना श्री ओम कुमार की है यह नहीं हैं, सोलहवीं सूचना श्री राज नारायन बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की विधान सभा क्षेत्र महोबा की खनिज क्षेत्र के ग्रामों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है चूंकि 5 माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री काली चरन सुमन, श्री प्रदीप चौधरी और श्री सुरेश बंसल की सूचना स्वीकार की गयी।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :--

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री दलजीत सिंह, श्री जगराम पासवान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती सीमा, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री अनूप संडा, श्री पूरन प्रकाश, श्री दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री राधेश्याम, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री विजय कुमार पासवान, डा0 अरूण कुमार, श्री विजय कुमार दुबे, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री प्रदीप माथुर, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सुदेश शर्मा, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री कृष्ण पाल राजपूत, श्री ममतेश शाक्य, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री तसलीम अहमद, श्री सन्त राम कुशवाहा, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री जय प्रकाश अंचल तथा श्री मदन चौहान।

इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

महोदय, इलाहाबाद नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 352 कि0मी0 सीवर बिछाया जाना है। 60% काम हो चुका है। इससे प्रमुख सड़कें तथा मुहल्लों की गलियां विगत 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। जल निगम ने केवल खुदाई वाले भाग की ही मरम्मत की है। शेष भाग नगर निगम को करना है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियां म्योरावा आवास योजना, गयापूरा स्टैगली रोड आदि नगर निगम को हस्तांतरित हो चुके हैं। फतेहपुर बिछुवा की आंतरिक सड़कों का टेंडर करके बाहरी सड़कों काविंग कराया गया है जिससे आंतरिक मुहल्ले के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है इसी प्रकार नया कटरा 'डी' पाक्र के आसपास की क्षतिग्रस्त सड़कों पर बच्चे-बुजुर्ग व महिलाओं का चलना दूभर हो गया है। कारपेन्ट्री स्कूल से निगम चौराहा ममफोर्डगंज व चांदमारी चौराहा जबर्दस्त क्षतिग्रस्त होने से आवागमन दूभर हो गया है। विगत तीन वर्षों से टूटी सड़कों पर गिरते पड़ते चलते रहने से लोगों में भारी आक्रोश एवं अंसतोष उत्पन्न हो रहा है। जगह-जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर नगर निगम द्वारा ''अवस्थापना निधि'' उपरोक्त उल्लिखित सड़कों, मुहल्लों की सड़कों का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद वाराणसी में लकड़ी के खिलौने उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, वाराणसी सांस्कृतिक शैक्षणिक धार्मिक स्थान होने के साथ-साथ कुबेर उद्योगों का भी केन्द्र है लकड़ी के खिलौने बनाना वाराणसी का एक प्रमुख प्राचीन उद्योग है। लेकिन आज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं। इसके कारीगर या तो ईंट के भट्ठे पर या मकान बनाने के देहाड़ी मजदूर बन रहे हैं या रिक्शा चला रहे है। उनकी मुख्य परेशानी है कच्चे माल अर्थात् लकड़ी की आपूर्ति की। जिस लकड़ी से हमेशा खिलौने बनते थे वह अब प्राप्त नहीं हो रही है। जो लकड़ी खोजवा कश्मीरीगंज में प्राप्त है। वह घिसते वक्त काफी नष्ट हो जाता है लागत खर्चा अधिक बैठ जाता है और खिलौने मजबूत नहीं बनते हैं। परिणाम स्वरूप बिक्री प्रभावित होती है।

इन कारीगरों को कोरयिवां लकड़ी चाहिये जो मध्य प्रदेश व बिहार में बहुतायत से पायी जाती है। पहले लकड़ी वहीं से आता था या कारीगर वहां जाकर स्वयं ले आते थे। आज वहां से लकड़ी लाने पर रोक है वर्तमान व्यवस्था में लकड़ी की नीलामी होती है। बड़े व्यापारी उसे लेकर जमा कर लेते हैं तथा ऊंचे दाम पर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। इन कठिनाइयों के कारण यह उद्योग संकट में फंसा है। अतः पड़ोसी राज्यों से लकड़ी आयात पर प्रतिबन्ध हटा लिया जाय तो बहुत बड़ा संकट समाप्त हो जायेगा।

लकड़ी के खिलौने का उद्योग व व्यवसाय आम जनता के जनजीवन से जुड़ी समस्या है। अतः इस संवेदनशील समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसके निदान हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा करती हूं।]

प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व मा0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में रसोइयों की नियुक्ति हेतु नई चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

[अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था संचालित करने के लिए शासन द्वारा ग्राम पंचायत/वार्ड की महिलाओं का रसोइयां पद पर चयन किया गया। प्रारम्भ में रसोइयों को छात्रों के संख्यानुपात में मानदेय प्रत्येक रसोइयां को प्रतिमाह रु0 250 से लेकर 500 रुपये तक अधिकतम मिलता था। अप्रैल, 2010 में शासन द्वारा रसाइयों का मानदेय रु0 1000 प्रतिमाह निश्चित कर दिया गया तब से इस योजना को हर नये शिक्षा सत्र से ग्राम पंचायत/वार्ड का हर दबंग व्यक्ति तरह-तरह की राजनीति करके अपने चहेतों को चयन करवाने के लिए इच्छुक हो जाता है। जिससे हर कार्यरत गरीब और मजबूर रसोइयां अगले नये शिक्षा सत्र में चयन से वंचित रह जाता है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि प्राथमिक विद्यालय एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में रसाइयां की नवीन चयन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शासन द्वारा कार्यरत रसोइयों को ही नये शिक्षा सत्र में स्वतः नवीनीकृत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

आयुष चिकित्सकों द्वारा मरीजों को इलाज हेतु एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''-

[महोदय, आयुष चिकित्सकों को शिक्षण के समय आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं के उपयोग करने के साथ ही एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के विषय में भी शिक्षा दी जाती है। लेकिन उन्हें

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा पूर्ण करने उपरान्त प्रैक्टिस करने के दरम्यान एलोपैथिक दवा लिखने/दिये जाने की अधिकृत अनुमति नहीं है जिस हेतु प्रदेश भर के आयुष चिकित्सक विगत अनेक वर्षों से मांग, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कोलकाता, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि कई प्रदेश सरकारों द्वारा आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है और सेवाओं में उनकी सेवायें भी ली जा रही हैं। सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की घोर कमी को देखते हुए स्टेट मेडिकल काउन्सिल उ0 प्र0 द्वारा भी अविलम्ब आयुष चिकित्सकों को भी एलोपैथिक दवाओं के माध्यम से उपचार करने की अधिकारिक अनुमति प्रदान कर देना न्याय संगत होगा। यदि इसमें नियम बाधक है तो आवश्यक संशोधन किया जाय। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के डबल बेंच द्वारा भी आदेश भी पारित किया गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक कदम न उठाया जाना और हजारों आयुष चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने हेतु वंचित रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा मांग करता हूं कि आयुष चिकित्सकों को भी स्टेट मेडिकल काउन्सिल ऐक्ट में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए एलोपैथिक दवा द्वारा उपचार करने की आधिकारिक अनुमति प्रदान किया जाय।]

जनपद सहारनपुर को नगर निगम की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल-

[महोदय, 01 अक्टूबर, 2009 में नगर पालिका परिषद् सहारनपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके उपरान्त सहारनपुर नगर निगम प्रशासक व प्रदेश सरकार का ध्यान सिर्फ निगम की वित्त बढ़ोत्तरी पर है जबकि नगर निगम सहारनपुर को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा व प्रदेश सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नगर निगम सहारनपुर को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। फण्ड के अभाव में क्षेत्रीय विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सीवर का कार्य नहीं हो पा रहा है, पानी की निकासी के अभाव में मोहल्ले तालाब बन गये हैं सड़कें जर्जर हो चुकी हैं स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पा रही हैं। क्षेत्रीय जनता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कई बार प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती है और अधिकारी भी कर्मचारियों के अभाव का बहाना बनाकर कार्य को टाल देते हैं। स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इससे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

जनपद सहारनपुर की सड़कें अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं इन सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण आम नागरिकों को अत्यन्त असुविधाएं हो रही हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों पर फिसलकर आये दिन कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। ऐसी कुछ सड़कें निम्न प्रकार हैं :-सहारनपुर से नागल देवबंद मार्ग, देवबंद मंगलौर मार्ग, सहारनपुर मल्हीपुर बड़गांव मार्ग, गंदेवड़ से हथनीकुण्ड बैराज मार्ग, फतेहपुर से कलसिया मार्ग, देवबन्द बड़गांव नानीता मार्ग, सिड़की से जबरेड़ा मार्ग, सिड़की नागल मार्ग, इसके अतिरिक्त नई दिल्ली यमुनोत्री हाइ-वे का कार्य भी शासन-प्रशासन की अनदेखी के कारण कई वर्षों से रुका हुआ है। जिससे सहारनपुर एक टापू के समान हो गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय नागरिकों में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है। सहारनपुर के नागरिकों द्वारा स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश शासन-प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया है परन्तु सड़कों का निर्माण नहीं हो सका।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के थाना स्याना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां-

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जनपद बुलन्दशहर में थाना/कोतवाली स्याना में कथित भ्रष्टाचार तथा असंवैधानिक कार्य प्रणाली की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री मेराज उर्फ पिदरू, निवासी स्याना द्वारा कोतवाली स्याना में 9/13, धारा-147/148/307/436, 327 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। जिससे कुछ लोगों द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2013 को हलफनामा भी दाखिल किये गये, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के अभिलेखों में क्रमांक 20 पर दर्ज हलफनामें पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिनांक 13-2-2013 को कार्यवाही करने हेतु आदेश भी जारी किये गये हैं। किन्तु क्षेत्राधिकारी, स्याना ने हलफनामें की जानकारी होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इस समस्त प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी, स्याना की भूमिका संदिग्ध है तथा कार्यशैली संदेहजनक है, जिसके कारण इस प्रकरण में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में कठेला को मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी ब्लाक न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लाल मुन्नी सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ब्लाक (कठेला) को बनाये जाने के सम्बन्ध में घोषणा किये थे। उक्त घोषणा के बावजूद कठेला ब्लाक का निर्माण अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जनता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है कि ब्लाक का निर्माण कार्य कब शुरू होगा। इसी तरह कुछ पुलों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी, झुगहवां का पुल, पुरानी बानगंगा देवरिहवां गांव के पूरब का पुल, डोइया नाला पर पुल, अर्रा नाला पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में घोषणा किया गया था। लेकिन आज तक किसी पुल के निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है। जो जनहित से जुड़ा प्रकरण है और अति महत्वपूर्ण है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2007-08 में व 2008-09 में क्रमशः डुमरियागंज-चन्द्रदीप घाट रोड से पिरैला सम्पक्र मार्ग व बांसी डुमरियागंज सम्पक्र मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिद्धार्थनगर द्वारा कराया गया था जो वर्तमान समय में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढायुक्त हो गया है। आम जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों मार्ग खराब हो चुके हैं। जिसका पुनः निर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य हो सके और आवागमन जो प्रभावित है वह पुनः सही हो सके।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय चन्दौली को मुगल सराय नगरपालिका परिषद् क्षेत्र एवं चन्दौली नगर पंचायत के विभिन्न जगहों पर ट्रान्सफार्मरों के क्षमता वृद्धि बढ़ाये जाने के पत्र के माध्यम से कई बार अवगत कराया जा चुका है। जिसमें कि अलीनगर, चौहान बस्ती, अलीनगर मुस्लिम बस्ती, मुगल सरायं धर्मशाला रोड, लालबहादुर शास्त्री कटरा, कसाब महाल, काली महाल, मुगलचक, कैलाशपुरी, नई बस्ती, रविनगर, न्यू महाल 40 फिट रोड, बिछड़ी, चन्दौली, टाउन एरिया, चन्दौली डाक बंगला इत्यादि जगहों पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नगरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) दिनांक 17-12-2008 विज्ञप्ति सं0 प्रकोष्ठ/प्र0सं0 (ग्राम्य) 2008-09/11991 के द्वारा प्रयोगशाला (ग्राम्य) के रिक्त 728 पदों हेतु प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया। जिसकी लिखिल परीक्षा 30-8-2009 को करवाकर उसमें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार करवाया गया। साक्षात्कार में सफल 728 अभ्यर्थियों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में दिनांक 02-08-2010 से 31-01-2011 में सम्पन्न कराकर तकनीकी प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 721 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के पश्चात् कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक सं0-10फ/नियुक्ति/2013/4650 दिनांक 22-03-2013 के तहत मात्र 508 अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु जारी की गयी है। शेष अभ्यर्थियों के नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लखनऊ द्वारा निर्गत नहीं किया गया। जिससे शेष अभ्यर्थियों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र महोबा की खनिज क्षेत्र के ग्रामों की पूर्णतः ध्वस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र महोबा में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना होने से भारी यातायात होने के कारण दर्जनों ग्रामों की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। स्थानीय ग्राम के लोगों को शहर आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण कोई भी छोटा और बड़ा वाहन सुगमता पूर्वक नहीं निकल सकता है। यहां तक कि पैदल चलने में भी अत्यन्त कठिनाई होती है, साथ ही पक्की सड़क न होने के कारण वाहनों के चलने से हो रहे प्रदूषण से लोगों को अनेक बीमारियों व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कें निम्नवत् हैं :-जिसमें एन0एच0 86 से ग्राम काली पहाड़ी से ग्राम गंज होते हुए ग्राम धरौन तक, महोबा मुख्यालय से ग्राम बिलवई, बरात पहाड़ी होते हुए ग्राम काजी बम्हौरी तक, ग्राम शिवहांर से काजी बम्हौरी होते हुए कबरई-कुनेहटा मार्ग तक, कबरई से ग्राम उटिया धरौन, गहरा, ग्योड़ी होते हुए ग्राम कुनेहटा तक, एन0एच0 86 से ग्राम डढ़त, ग्राम डहरा होते हुए ग्राम मकवई से एन0एच0 86 पर स्थित ग्राम अलीपुरा तक, एन0एच0 86 कबरई बांदा मार्ग से पहरा, खरका, सुकौरा होते हुए ग्राम रिबई तक, एन0एच0 76 (ग्राम बरबई) से ग्राम कहरा, ग्राम बहिंगा, ग्राम खिरूही होते हुए मटौध-कपसा मार्ग तक, महोबा राठ मार्ग (एन0एच0 76) के रैपुरा मोड़ से रैपुरा, बनिया तला होते हुए महोबा-छतरपुर, (एन0एच0 86) मार्ग तक महोबा राठ (एन0एच0 76) मार्ग से ग्राम पवा, ग्राम बिल्खी होते हुए श्रीनगर तक, मुख्यालय महोबा (एन0एच0 86) से ग्राम मामना, ग्राम मुड़हरा तक। अतः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्न सभी (खनिज क्षेत्र) सड़कों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सभी सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग व खनिज निधि से निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्वी उ0प्र0 के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को चार हिस्सों में बांट कर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, विकास के सभी सूचनाओं यथा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कृषक आय, साक्षरता दर तथा विशेष रूप से ग्रामीण स्त्री साक्षरता, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात, कुपोषण दर, नगरीय नागरिकों के अनुपात, प्रति व्यक्ति औद्योगिक संस्थाओं एवं औद्योगिक उत्पादन की मात्रा, प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या तथा ऋण जमा अनुपात, प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालयों चिकित्सालयों की संख्या तथा सड़कों की लम्बाई आदि के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि जैसी बहुतेरी योजनायें बनाई गयीं लेकिन जमीनी धरातल पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास पर इसका कोई दूरगामी प्रयोग नहीं पड़ा है। राज्य सरकार के सांख्यिकीय की आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के समग्र विकास सूचकांक के अनुसार प्रदेश में 14 सबसे पिछड़े जिलों में 10 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। संस्तुतः पिछले 5 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़े जनपदों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बिना उत्तर प्रदेश के विकास की कल्पना ही नहीं की सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उसी पिछड़ेपन के आधार पर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाये जाने की मांग बल पकड़ती चली जा रही है। अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद यह लड़ाई और भी शक्तिशाली हुयी है।

व्याप्त जनहित में यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को प्रदेश में 4 आर्थिक जोनों के आधार पर जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के मानक पर 4 अलग हिस्सों में बांटकर पूरे प्रदेश के संतुलित विकास हेतु बांटकर, जनाक्रोश को नियन्त्रित किया जाये।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत विधान सभा में उठाने तथा सरकार को जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

जनपद आगरा में बीज गोदाम को नियमित रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जारूवाकटरा वि0ख0 अकोला आगरा के अन्तर्गत किसानों के हित के लिए जारूवा कटरा के अन्तर्गत बीज गोदाम बनवाया गया है। इस बीज गोदाम की बाउन्ड्रीवाल अभी तक नहीं बनवायी गयी है। जिसके कारण किसानों एवं सरकारी माल की क्षति होती है तथा बीज गोदाम में नियमित रूप से कर्मचारी एवं बीज आदि उपयुक्त सामग्री गोदाम में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं रखी जाती है और न ही नियमानुसार बीज गोदाम का संचालन होता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त बीज गोदाम में बाउन्ड्रीवाल कराये जाने एवं बीज गोदाम को नियमित रूप से संचालित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर जो कि पश्चिम उ0 प्र0 का मुख्य शिक्षा केन्द्र है तथा जनपद में डिग्री कालेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं के लिये सुचारु रूप से कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा तथा प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिये शिक्षा हेतु जनपद सहारनपुर व निकटवर्ती जनपदों में डिग्री कालेजों की संख्या बहुतायत होने तथा विद्या ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सहारनपुर जनपद में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है क्योंकि रामपुर मनिहारन दीर्घकाल से शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है तथा जनपद सहारनपुर व शामली के मध्य में स्थित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के जस्सीपुरा मोड़ से कैलाश नगर पुलिस चौकी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत जस्सीपुरा मोड़ से गऊमाला अण्डरपास से होते हुए कैलाश नगर पुलिस चौकी तक जाने वाली सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। यह मुख्य सड़क विजय नगर क्षेत्र को शहर से जोड़ती है। इस सड़क पर दूधेश्वर नाथ सिद्धपीठ मन्दिर भी बना हुआ है। इस सम्बन्ध में यहां के निवासियों द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है, किन्तु अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जनहित में जर्जर हालत में जिस पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[11.55] सदन की सहमति से अतिरिक्त समय में अन्य मदें लिये जाने का सुझाव

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अभी समय बचा है तो लेइंग आईटम रखवा दें क्या, 20 मिनट के लिए स्थगित करने से क्या फायदा, लेइंग आईटम रखवा देते हैं सहमत है आप सब लोग।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, ठीक है।

[11.59] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2012-2013 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2012-2013 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1690/ ग्यारह-9(1)/ 2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(104)-2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1690/ग्यारह-9(1)/2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(104)-2013, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1730/ ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(105)-2013 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1730/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(105)-2013, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 एवं 15 में कुछ नहीं है।

[12.01] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है, वह मैं दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 24 फरवरी, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार, 25 फरवरी, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 26 फरवरी, 2014 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कोई प्रस्ताव करेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसके लिये आपको अधिकृत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप पूरा प्रस्ताव पढ़ दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की विधान सभा में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,' 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2014-2015 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

इस पर माननीय नेता विरोधी दल की सहमति है, हमारी भी है और आपको इसके लिए प्राधिकृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2014-2015 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,' 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2014-2015 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.06] सदन की सहमति से अतिरिक्त समय में अन्य मदें लिये जाने का सुझाव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अभी तो 10-12 मिनट का समय शेष है यदि आप लोग सहमत हों तो बिल को प्रस्तुत करा दें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप अभी बैठ जाएं। मद सं0-17 में कुछ नहीं है।

[12.08] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014†

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

---

† दिनांक 6-3-2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014†

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014†

लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व एवं अभाव मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अभी आप रुक जाइये, जो आपकी समस्या होगी, उसे सुना जायेगा, पहले लेखानुदान प्रस्तुत हो जाने दीजिए।

[12.10] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21-02-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना डा0 अरुण कुमार और श्री राजेश अग्रवाल की बरेली महानगर में स्मैक के नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद में तहसील कांठ के ग्राम चंगेरी, ग्राम चैदरी अकबरपुर आदि में नरभक्षी बाघिन द्वारा दस लोगों के जान जाने की जांच कराने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, इसमें भी वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उ0 प्र0 में जिला सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों, उनके परिवार, जमाकर्ताओं एवं कर्मचारियों के हित की सुरक्षा हेतु बैंकिंग लाइसेन्स जारी कराये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद से पुलिस मुख्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने की शासन की योजना से लगभग 150 वर्ष पुराने भवनों के पुरातात्विक महत्व को क्षति पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के ग्राम दौलतपुर में पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, वह तो होंगे नहीं। उनकी सूचना जनपद मेरठ नगर में श्री प्यारे लाल शर्मा, राजकीय चिकित्सालय को घनी आबादी के बाहर दिल्ली मेरठ रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी भूमि पर स्वास्थ्य चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की जनपद वाराणसी के 387 रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के रमना ग्राम में 22 बेड के बने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की समाज कल्याण विभाग से 578 अनु0 जाति प्रा0वि0 में 885 अप्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिकाओं का मार्च, 2013 से वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री ओम कुमार की, ओम कुमार तो होंगे नहीं पहले वह 301 की सूचना के समय भी नहीं थे उनकी सूचना जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत नरभक्षी बाघिन को पकड़वाने/बाघिन के शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली में नरवन क्षेत्र को चक्का बांध जमनियां से सिंचाई हेतु स्वीकृत परियोजना पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई तथा ग्यारहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली स्थित विधान सभा क्षेत्र शामली में डा0 राम मनोहर लोहिया व पं0 जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों में मानकों के प्रतिकूल किये गये विकास कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

श्रीमती लाल मुन्नी सिंह,

श्री विजय कुमार दुबे,

श्री रघुनन्दन सिंह,

श्री संजय प्रताप जायसवाल,
श्री प्रदीप माथुर,
श्री गेंदा लाल चौधरी,
श्री लोकेन्द्र सिंह,
श्री जगन प्रसाद गर्ग,
श्री अजय मिश्रा 'टेनी',
श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
श्री दीपक पटेल,
श्री कालीचरन सुमन,
श्री राजकुमार रावत,
श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
श्री सुदेश शर्मा,
श्री भीम प्रसाद सोनकर,
डा0 धर्मपाल सिंह,
श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या,
श्री विजय बहादुर यादव,
श्री उमेश पाण्डेय,
श्री तसलीम,
श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
श्री सुरेश बंसल,
श्री सुधाकर,
श्री पूरन प्रकाश,
श्री उपेन्द्र तिवारी,
श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य,
श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,
श्री योगेन्द्र उपाध्याय,
साध्वी निरंजन ज्योति,
श्री कमाल यूसुफ मलिक,
डा0 पूर्णमासी देहाती,
श्री रोशन लाल वर्मा,
श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
श्री दलवीर सिंह,

श्री भगवती प्रसाद,
श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
श्री धर्मपाल सिंह,
श्री सुरेश कुमार खन्ना,
डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
श्री अलगू प्रसाद चौहान,
श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली,
श्री जय प्रसाद निषाद,
श्री राजेश त्रिपाठी,
श्री बब्बन सिंह चौहान,
श्री संतराम कुशवाहा,
श्री ममतेश शाक्य,
श्री बृजेश कुमार,
श्री अनिल कुमार,
श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
श्री रवीन्द्र जायसवाल,
श्री मनीष असीजा,
श्री सुरेश राणा,
श्री अगयश रामशरन वर्मा तथा
श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी।

जनपद लखीमपुर खीरी के तमकुहीराज के अन्तर्गत परसौनी बाजार में दिन-दहाड़े कत्ल दो व्यापारियों को अज्ञात बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या किये जाने विषयक प्रकरण को उठाने का प्रयास

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र तमकुहीराज विधान सभा में...

(इसी बीच श्री विजय कुमार दूबे के खड़े होने व कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

दूबे जी आप किस नियम में बोल रहे हैं ? क्या आपका व्यक्तिगत मामला है।

श्री विजय कुमार दूबे-

अध्यक्ष जी, आज हमने नियम-51 में सूचना लगायी थी। हमारे यहां पिछले दो महीने से खरवार समाज का धरना-प्रदर्शन चल रहा है। उस पर आपने आश्वासन दिया था कि आप लगाईये। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

दूबे जी बैठिये, इसमें जो नहीं हैं उनकी जगह पर आपकी सूचना ले लेंगें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में थाना-तरयासुजान के अंतर्गत परसौनी बाजार में कल दिन-दहाड़े दो व्यापारियों की अज्ञात बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गयी।...

श्री अध्यक्ष-

यह 24-02-2014 को कहना।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, स्थिति यह है कि दो-दो हत्यायें हो चुकी है, रूपेश वर्मा पुत्र स्वामी नाथ...

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना किसी नियम में आयी नहीं, कैसे बोल रहे हैं ? देखिये आप पढ़े-लिखे हैं, विधान सभा को नियमों से चलाओ। यह सब घटनायें जब चाहेंगे तभी बोलने लगेंगे, उसका समय होता है, 24 को आईयेगा, सूचना दीजिएगा उसके बाद बोलियेगा। पहले नियमों में सूचना दीजिएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। 24 तारीख को इसको नियमों में देना। अब हत्या हो जाए तो उसमें हमारा क्या दोष है, आप वहां रहते हैं आपको देखना चाहिए। अब आप बैठिये। 24 तारीख को जब सदन चलेगा तो नियमों में उठाना।

[12.16] जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

आप इस समय जो कह रहे हैं वह न तो कार्यवाही का अंग माना जाएगा न यह प्रेस में जाएगा।

नोट :-[x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश प्रताप सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं। ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रुद्रपुर-कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रुद्रपुर-करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''

माननीय अध्यक्ष जी देवरिया जनपद प्रदेश का अकेला ऐसा जनपद है जहां कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। प्रदेश सरकार की भी नीति है और भारत सरकार की भी नीति है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को एक दूसरे से जोड़ा जाए। यह बहुत पिछड़ा इलाका है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि देवरिया जनपद के इन तीनों मार्गों को जो कि बलिया-बनारस तक को जोड़ देगा इधर गोरखपुर होते हुए कौड़ीराम को जोड़ देगा और लखनऊ तक गोरखपुर होते हुए जोड़ देगा। बहुत ही लोकमहत्व के राष्ट्रीय राजमार्ग यह बनाए जाएं। प्रदेश सरकार से हम यह अनुरोध करते हैं कि इसमें उदारतापूर्वक सहयोग करें और इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बना दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और संकल्प प्रस्तुत करा दें बाद में चर्चा करिएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

यह बहुत ही लोकमहत्व का विषय है। हमारा बिहार कलकत्ता से जो भी यातायात होता है इन मार्गों के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास भी होगा प्रदेश को रेवेन्यू भी मिलेगा क्योंकि अभी जो यातायात इस मार्ग से आना चाहिए लेकिन सिंगल वे होने के नाते नहीं हो पाता है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की यह नीति है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कि0मी0 संख्या में वृद्धि कराई जाय। उसके तहत भी देवरिया जनपद के इन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाए जाने से सरकार की नीति के अनुरूप ही कार्य होगा और पूरे पूर्वांचल की आर्थिक स्थिति में भी फक्र पड़ेगा। वहां पर उद्योगों का आना जाना बढ़ेगा। वहां पर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। पूंजी निवेश और उस इलाके के विकास में इन सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि विकास का सबसे पहला जो माध्यम होता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यातायात होता है रेललाइन हैं लेकिन हमारी सड़कें यातायात के लिए इतनी अच्छी नहीं हैं। बगल के जनपद कुशीनगर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है लेकिन दूर होने के नाते रेलवे लाइन से कट आफ होने के कारण वहां पर निवेश नहीं आ पाता है। एक समय में देवरिया जनपद पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जी0डी0पी0 ग्रोथ देने वाला जनपद था क्योंकि कृषि प्रधान जनपद है। कृषि प्रधान होने के नाते कोई दूसरी औद्योगिक इकाइयां नहीं आ पाईं और आज उन चीजों को आकर्षित करने के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग इस देवरिया जनपद से लाया जाय और चौथा मान्यवर कि हमारे जो ऐतिहासिक टूरिस्ट के प्लेसेज हैं कुशी नगर से लेकर बोधगया से लेकर बनारस इन सब प्लेसेज को यह

जोड़ेगा। जो हमारा अर्न्तराष्ट्रीय टूरिस्ट आता है जो पूरी दुनियां के लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं चाहे धार्मिक हो या बौद्धिक हो उस क्षेत्र को भी यह कवर करेगा गोरखपुर से लेकर लुम्बिनी, कुशी नगर से लेकर बोधगया, बनारस से लेकर अयोध्या लखनऊ तक। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार इन राष्ट्रीय राजमार्गों को घोषित करवा दे इनके सुदृढ़ीकरण उच्चीकरण तक यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करें। हम अपेक्षा करते हैं कि सदन के समस्त सदस्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी और इन जनपदों के जो विधायक और माननीय मंत्री जी हैं वह लोग उदारता का परिचय देते हुए इसमें सहयोग करेंगे इन कार्यों को पूर्ण कराया जाय। हम मान्यवर आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[12.20] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (अन्तरिम) का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी 12.20 हो गया है। अब अन्तरिम बजट प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (अंतरिम) को, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह अंतरिम बजट है इसमें केवल वचनबद्ध एवं चालू योजनाओं के लिये व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं।

अभी हाल में केन्द्र सरकार द्वारा विद्यमान 142 केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को पुनर्गठित कर कुल 66 योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है। बजट वर्ष 2014-2015 से इन सभी योजनाओं का वर्गीकरण एवं बजट व्यवस्था ''राज्य योजना के लिये केन्द्रीय सहायता'' के नाम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों में राज्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत परिवर्तन करने हेतु राय मांगी गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि वर्ष 2014-2015 से केन्द्रीय सहायता चरणबद्ध रूप में राज्य की समेकित निधि के माध्यम से अवमुक्त की जायेगी। इन निर्णयों का राज्य की वार्षिक योजना, राज्य बजट की संरचना एवं आकार पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की वार्षिक योजना को भी अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस अन्तरिम बजट पर आधारित चार महीने की अवधि का लेखानुदान भारत का संविधान के अनुच्छेद-206 के अधीन उल्लिखित प्राविधानों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है।

मान्यवर, यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 में कुल 2,54,666.97 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जिसमें 2,15,846.70 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 38,820.27 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां होंगी जिनमें लोक ऋण से 38,329.31 करोड़ रुपये

तथा ऋण एवं अग्रिम से 490.96 करोड़ रुपये की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों की 2,15,846.70 करोड़ रुपये की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से 80,156.00 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्यांश से 72,976.70 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 17,866.27 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में 44,847.73 करोड़ रुपये के अनुमान सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष में फिलहाल कुल 2,59,848.68 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें से 88,623.85 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा 1,71,224.83 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनेतर पक्ष में होगा।

कुल 2,59,848.68 करोड़ रुपये के व्यय में 1,97,857.31 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 61,991.37 करोड़ रुपये का व्यय पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है। पूंजी लेखे के व्यय 61,991.37 करोड़ रुपये में ऋणों के प्रतिदान के लिये 19,380.01 करोड़ रुपये ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये 1,080.94 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत परिव्यय के लिये 41,530.42 करोड़ रुपये की राशियां सम्मिलित हैं।

इस प्रकार वर्ष 2014-2015 में राज्य की समेकित निधि में सम्प्रति 5,181.71 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। लोक लेखे के अन्तर्गत 4,130 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियां को सम्मिलित करने तथा वर्ष का प्रारम्भिक शेष 3,066.62 करोड़ रुपये को लेने पर अन्तिम शेष 2,014.91 करोड़ रुपये से समाप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा।

चूंकि यह अन्तरिम बजट है, अतः मैं इस चरण में माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन द्वारा इस अन्तरिम बजट के आधार पर प्रस्तुत लेखानुदान पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं वर्ष 2014-2015 का बजट तथा चार महीने की अवधि के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अखिलेश यादव, मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण के समापन के उपरान्त)

(मेजें थपथपाई गईं)

[12.26] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जाएं।

(प्रतियां बांटी गईं)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2014-2015 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो

21 फरवरी, 2014 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो अस्सी हजार छियासी करोड़ छियालिस लाख छत्तीस हजार रुपये (80086,46,36,000) से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2014-2015 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 21 फरवरी, 2014 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो अस्सी हजार छियासी करोड़ छियालिस लाख छत्तीस हजार रुपये (80086,46,36,000) से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

मद संख्या-5 पर सबके विचार आ जाएं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 का, लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

इस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों परम्परा तोड़ रहे हैं आपके समय में भी पेश हुआ है कोई इस पर चर्चा नहीं हुई मेरे पास किताब रखी है, आप भी मंत्री रहे हैं लेखानुदान पर चर्चा नहीं होती है। जनरल बजट पर डिबेट होती है। आपकी सरकार में कोई चर्चा नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लेखानुदान पर कोई चर्चा नहीं हुई। नेता विरोधी दल आप परम्परा को मत तोड़िए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

आप मेरा भी तो निवेदन सुन लें। मान्यवर, आज नियम-56 की सूचनायें कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में इसलिए निरस्त की गई थीं ताकि संक्षिप्त में इस बजट प्रस्तुतीकरण पर, संक्षिप्त में चर्चा हो सके और मान्यवर, आपके निर्देश के क्रम में ही, सभी दलीय नेताओं की बैठक में और मा0 मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में, तय हुआ था तो जो कार्य-मंत्रणा में तय हुआ था मैं तो वही चाहता हूं की होना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन संक्षिप्त में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जब वहां पर बात उठी थी उसी समय मैंने वहां पर भी कहा था कि यह परम्परा नहीं है और नई परम्परा न डाली जाए। इसको नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यह कभी भी नहीं हुआ है चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी

की सरकार रही हो, राज्य में जब भी लेखानुदान प्रस्तुत हुआ है तब उस पर चर्चा नहीं हुई है। क्यों आप नई परम्परा डाल रहे हैं। जब जनरल बजट आता है, तब चर्चा होती है, क्यों आप नयी परम्परा डाल रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो निर्णय हुआ था, उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

उस समय भी मैंने कहा था कि नई परम्परा न डालिए, नियमों को न तोड़िए, यह बात हुई थी। इस पर चर्चा क्या करेंगे ? देखिए कमिटेड धन है, उस पर आपने पिछली असेम्बली में चर्चा कर ली है कि इस-इस मद में इतना रुपया रहेगा, क्या उसी पर फिर चर्चा करेंगे ? जब जनरल बजट आयेगा, तब चर्चा करियेगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मान जाइये, क्यों परम्परा तोड़ रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संक्षिप्त चर्चा के लिए मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, मेरा आपसे आग्रह है, परम्परा न तोड़े।

अब मद संख्या-6 ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014†

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

---

† दिनांक 6-3-2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014

1 अप्रैल, 2014 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2014–2015 के लिए 93502,63,71,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 1 अप्रैल, 2014 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 93502,63,71,000 रुपये (तिरानबे हजार पाँच सौ दो करोड़ तिरसठ लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ अनाधिक क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	454052	*667*	454719
		पूंजी :	6819	...	6819
02	आवास विभाग	राजस्व	421042	*65000*	486042

		:	2166667	*30000*	2196667
		पूंजी :			
1	2			3	
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	513841	*200*	514041
		:	15667	...	15667
		पूंजी :			
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	91348	...	91348
		:	6867	...	6867
		पूंजी :			
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	256590	...	256590
		:	...	...	0
		पूंजी :			
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	349330	...	349330
		:	24503	...	24503
		पूंजी :			
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	248140	...	248140
		:	16421670	...	16421670
		पूंजी :			
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व	472644	...	472644
		:	17788	...	17788
		पूंजी :			
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व	29976600	*250000*	30226600
		:	17790874	*180000*	17970874
		पूंजी :			
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	877624	*4605*	882229
		:	10890	*5*	10895
		पूंजी :			
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	7863685	*507*	7864192
		:	2657815	...	2657815
		पूंजी :			
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	1668481	...	1668481
		:	...	...	0
		पूंजी :			

13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	6512648	*543*	6513191
		पूंजी :	22099213	...	22099213
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	24077067	...	24077067
		पूंजी :	1171343	...	1171343
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	1973898	*460*	1974358
		पूंजी :	241617	...	241617
1	2			3	
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	237275	...	237275
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	262063	...	262063
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	859482	*15000*	874482
		पूंजी :	...	*45000*	45000
19	कार्मिक वि□ाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	25410	...	25410
		पूंजी :	166667	...	166667
20	कार्मिक वि□ाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	15890	*142542*	158432
		पूंजी :	...	*167*	167
21	खाद्य तथा रसद वि□ाग	राजस्व :	764386	117	764503
		पूंजी :	56715500	4606082	61321582
22	खेल विभाग	राजस्व :	216794	...	216794
		पूंजी	486670	...	486670
23	गन्ना विकास वि□ाग (गन्ना)	राजस्व :	567729	67	567796
		पूंजी :	...	...	0
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	2688050	...	2688050
			...	...	0

		पूंजी :			
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1642166	*333*	1642499
		:	559696	...	559696
		पूंजी :			
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	40705489	*2500*	40707989
		:	2154333	...	2154333
		पूंजी :			
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	45152	...	45152
		:	...	...	0
		पूंजी :			
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	522339	...	522339
		:	1000	...	1000
		पूंजी :			
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	…	*46847*	46847
		:	…	...	0
		पूंजी :			
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	16925	...	16925
		:	…	...	0
		पूंजी :			

1	2			3	
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	3884763	...	3884763
		:	3966146	...	3966146
		पूंजी :			
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	13067571	*667*	13068238
		:	2130971	...	2130971
		पूंजी :			
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	1994841	...	1994841
		:	90958	...	90958
		पूंजी :			
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	934076	...	934076
		:	39131	...	39131
		पूंजी :			
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	12061991	*867*	12062858
		:	3599666	...	3599666
		पूंजी :			
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व	1830715	*67*	1830782

	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	:	25500	...	25500
		पूंजी :			
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	16022800	...	16022800
		:	4817083	...	4817083
		पूंजी :			
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	96197	...	96197
		:	1800000	...	1800000
		पूंजी :			
39	भाषा विभाग	राजस्व	45034	...	45034
		:	…	...	0
		पूंजी :			
40	नियोजन विभाग	राजस्व	846990	...	846990
		:	4107760	...	4107760
		पूंजी :			
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1753525	...	1753525
		:	…	...	0
		पूंजी :			
42	न्याय विभाग	राजस्व	4744922	*1045602*	5790524
		:	2415002	*50354*	2465356
		पूंजी :			
43	परिवहन विभाग	राजस्व	492123	...	492123
		:	94293	...	94293
		पूंजी :			
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	82015	...	82015
		:	227911	...	227911
		पूंजी :			
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	17433	...	17433
		:	…	...	0
		पूंजी :			
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	39939	...	39939
		:	16667	...	16667
		पूंजी :			
1	2			3	
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	865976	...	865976
		:	932783	...	932783
		पूंजी :			

48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	6808961	60	6809021
		पूंजी :	3433249	...	3433249
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	16970596	*333*	16970929
		पूंजी :	565533	...	655533
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	2598160	*567*	2598727
		पूंजी :	730460	...	730460
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	1649380	...	1649380
		पूंजी :	83333	...	83333
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	9459279	*626*	9459905
		पूंजी :	19997	*184*	20181
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	5902	...	5902
		पूंजी :	33	...	33
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	6021739	*133*	6021872
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	240683	*10322*	251005
		पूंजी :	103000	*3700*	106700
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	366667	...	366667
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	राजस्व :	85000	...	85000
		पूंजी :	5730000	...	5730000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्व :	10104300	*167*	10104467
		पूंजी :	15191420	*27500*	15218920
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति	राजस्व :	501665	...	501665
			672567	...	672567

	निदेशालय)	पूंजी :			
60	वन विभाग	राजस्व	1855553	*457*	1856010
		:	643832	...	643832
		पूंजी :			
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	36812760	*62155917*	98968677
	तथा अन्य व्यय)	:	1071335	*64437251*	65508586
		पूंजी :			
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व	84322700	*5046*	84327746
	भत्ते तथा पेंशन)	:	500000	...	500000
		पूंजी :			
1	2			3	
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व	728165	...	728165
	तथा लेखा प्रशासन)	:	29910	...	29910
		पूंजी :			
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	720924	...	720924
	परीक्षा,	:	167	...	167
	अल्प-बचत आदि)	पूंजी :			
66	वित्त विभाग (सामूहिक	राजस्व	85317	*690000*	775317
	बीमा)	:	...	...	0
		पूंजी :			
67	विधान परिषद्	राजस्व	115384	*1916*	117300
	सचिवालय	:	133	...	133
		पूंजी :			
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	328213	*4163*	332376
		:	267	...	267
		पूंजी :			
69	व्यावसायिक शिक्षा	राजस्व	1332210	...	1332210
	विभाग	:	615200	...	615200
		पूंजी :			
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	320378	...	320378
	विभाग	:	178790	...	178790
		पूंजी :			
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक	राजस्व	98839930	...	98839930
	शिक्षा)	:	19466	...	19466
		पूंजी :			

72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	31676398	*90*	31676488
		पूंजी :	2127042	...	2127042
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	6766494	*8*	6766502
		पूंजी :	756669	...	756669
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	2114970	...	2114970
		पूंजी :	26714	...	26714
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	317170	...	317170
		पूंजी :	14150	...	14150
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	930197	*3*	930200
		पूंजी :	833	...	833
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4553673	...	4553673
		पूंजी :	1325	...	1325
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	1897674	...	1897674
		पूंजी :	16667	...	16667
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	6958617	...	6958617
		पूंजी :	382531	...	382531
1	2			3	
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	15145542	...	15145542
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	324067	...	324067
		पूंजी :	*94087*	...	*94087*
82	सतक्रता विभाग	राजस्व :	127003	*15256*	142259
		पूंजी :	. . .	. . .	0
83	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	37545848	...	37545848

	(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	:	13863490	...	13863490
		पूंजी :			
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10405	...	10405
		:	...	...	0
		पूंजी :			
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	17801	...	17801
		:	...	...	0
		पूंजी :			
86	सूचना विभाग	राजस्व	519350	...	519350
		:	...	...	0
		पूंजी :			
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	169323	...	169323
		:	4083	...	4083
		पूंजी :			
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	22281	...	22281
		:	...	...	0
		पूंजी			
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यकर)	राजस्व	1893268	*218167*	2111435
		:	28967	...	28967
		पूंजी ::			
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	252440	...	252440
		:	...	...	0
		पूंजी ::			
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	698485	*1*	698486
		:	16289	...	16289
		पूंजी :			
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	164413	*2*	164415
		:	167985	...	167985
		पूंजी :			
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	6689880	*0*	6689880
		:	13895560	*100000*	13995560
		पूंजी :			
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	10723866	*1667*	10725533
		:	...	...	0
		पूंजी :			

योगः	राजस्व :	**592533415**	***64681492***	**657214907**
		208331221	***69480243***	**277811464**
	पूंजी :			
महायोग :		**800864636**	***134161735***	**935026371**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.34] आज की कार्य-सूची की मद संख्या-24 पर अंकित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आज ही लिये जाने पर बल

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अब मद सं0-24 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-24 नहीं, आज सुबह इस पर बात हो गयी है। आपकी इस पर कोई नोटिस नहीं है। मैंने कहा था कि 24 तारीख को सुनेंगे, आप प्रोसीडिंग देख लें। अब आज नहीं। मैंने कहा था कि 24 तारीख को दीजिएगा, जितना बोलना होगा, बोल लीजिएगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आज समय है, सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

समय है तो क्या हुआ, आप 24 को दीजिएगा। अब संकल्प प्रस्तुत करिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह ज्यादती है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने मद सं0-24 लेने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष-

अब आज नहीं सुना जाएगा, मैंने 24 तारीख के लिए कहा था, उस दिन बोल लीजिएगा। आपकी न तो इसकी कोई नोटिस आयी है। मैंने आपसे कहा था कि 24 तारीख को

आप इस पर बोल लेना। अब आप बैठिए। महाना जी, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के उप नेता हैं और आपसे बात हुई थी, कार्य-मंत्रणा समिति में भी तय हुआ था। आपकी बात पर हमने कहा था कि आप 24 तारीख को दीजिएगा उसमें जितना बोलना चाहें, बोलियेगा। और आप मान गये और अब आप फिर खड़े हो गये। इसमें कोई नोटिस नहीं है। तो कैसे बोलेंगे। बिना नोटिस के बोलेंगे। जबरदस्ती। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप सरकार के मंत्री रहे हैं आपको यह शोभा नहीं देता कि आप इतना जिद करें।

(इस बीच श्री सतीश महाना बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था।)

नहीं, नहीं। आप 24 तारीख को दीजिएगा। आप बैठ जायें। इतने सीनियर मेम्बर हो। अरे महाना जी, जिस बात को आप आज कहना चाहते हैं उसी बात को सभी दल कहना चाहेंगे। सब नोटिस देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह नहीं कहना चाहते। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह नहीं कहना चाहते। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी और यह सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रदेश में अपराध करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनका नहीं लिखा जाएगा और न प्रेस में जाएगा। अब आप बैठिये। 24 को आपका मैं सुनूंगा। उस दिन सभी नोटिस देंगे। आज किसी ने नोटिस नहीं दिया है। कैसे बुलवा दें ?

[12.36] वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि-''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये ।''

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत ही अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का और उसको प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो हमारी गंगा नदी है, वरुणा नदी है यह बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं जो भविष्य के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को सदन में कई बार उठा चुका हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपया व्यय करने के बाद भी आज गंगा का प्रदूषण जहां का तहां है और गंगा पहले से भी और प्रदूषित होती जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मैंने संकल्प प्रस्तुत कर दिया है, इस पर आगे चर्चा जारी रखने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं करेंगे ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आज कन्क्लूड नहीं कर पाउंगा। आप चर्चा जारी रखने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा चलिये। यह चर्चा जारी रहेगी।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषदों को भी शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि-''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषदों को भी शामिल किया जाय।''

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है कि जो भी कैन्ट का मामला होता है जो भी छावनियां हैं उसमें भी यह सुविधायें मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है। उन्हें सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इसको आप चर्चा का विषय बना दें। इसे अगली बार चर्चा के लिए ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल जी, आप कुछ चर्चा करिये तो, बहुत समय है, आप प्रस्तुत कर दीजिए, कुछ बोल दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, हमने इसको प्रस्तुत कर दिया है, आप इसकी चर्चा आगे के लिए जारी कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

[12.40] जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 मैं आपकी अनुज्ञा से दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत किये गये संकल्प कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तर का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाय'' पर चर्चा आरम्भ करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अति लोक महत्व के प्रश्न पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। जनपद देवरिया, पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा और सबसे ज्यादा रोग ग्रस्त प्रभावित इलाका है। उसका कारण यह है कि यह इलाका एक वाटर लॉगिंग का इलाका है, जहां पर जल-जनित बीमारियां भी बहुत होती हैं यहां पर घनत्व जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। प्रदेश

में अगर 800 व्यक्ति प्रति किमी0 आबादी है, तो देवरिया की साढ़े बारह सौ, साढ़े ग्याहर सौ व्यक्ति प्रति किमी0 की आबादी है और यहां पर अन्य तरह के भी जैसे इंसेफ्लाइटिस से लेकर के तम्बाकू से लेकर के अन्य बीमारियों का भी काफी प्रकोप यहां की जनता को भुगतना पड़ता है, उसका कारण यह है कि ऐसी खान-पान की व्यवस्था, गरीबी और बाढ़ से ग्रस्त होने के नाते लोगों का शरीर इतना सक्षम नहीं है कि बीमारियों से लड़ सके और यह निरोग रह पायें। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज कल किसी भी जनपद में यातायात के बहुत साधन हो गये हैं, अच्छी-अच्छी तेज तर्रार चलने वाली गाड़ियां, मोटिरसाइकिलें इत्यादि हो गई हैं, लोगों का एक्सीडेन्ट का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है और उसके अलावा कुछ ऐसी और बीमारियां हो जाती हैं, जिससे तत्काल में मरीज को उच्च कोटि की दवा की सुविधा और इमरजेन्सी मेडिकल हेल्थ की सुविधा की आवश्यकता पड़ती है, जो देवरिया में नहीं है और पूर्वान्चल में भी नहीं है, सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कालेज में हैं, लेकिन वहां पर भी ओवर क्राउडेड रहता है, बिस्तर नहीं मिलते हैं, ट्रामा सेण्टर में जगहें बहुत कम हैं, ये बहुत सी समस्यायें हैं जो मरीज सुविधा न पाने के कारण अचानक हुई दुर्घटनाओं के कारण वहां के निवासियों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, यदि इन लोगों को त्वरित आकस्मिक सुविधायें मिल जायं, मेडिकल हेल्थ की सुविधायें मिल जायं, इन लोंगो के ऐक्सीडेण्ट के बाद ट्रामा सेण्टर जैसी सुविधायें मिल जायं, अच्छे डाक्टर की सुविधायें मिल जायं तो देवरिया में 70-80 परसेण्ट जीवों की सुरक्षा की जा सकती है। मान्यवर, देवरिया जनपद के अस्पताल में स्पेशलाइज डाक्टरों की भी कमी है, वहां पर बिस्तरों की भी कमी है, आपरेशन थियेटर्स काम करते नहीं हैं, वहां पर जो भी कोई मरीज जाता है, उसको तुरन्त वह लोग आगे को रिफर कर देते हैं, कोई मेजर ट्रीटमेण्ट नहीं होता है और पापुलेशनवाइज भी पूर्वान्चल का सबसे बड़ा आबादी का क्षेत्र है देवरिया जनपद वहां सबसे अधिक आबादी है, जो मानक हैं डाक्टरों की उपलब्धता के उसके 20 परसेण्ट पर भी देवरिया जनपद में डाक्टरी और मेडिकल की सुविधा नहीं है, जो ऐक्सपर्ट चाहिए जो रिपोर्ट्स हैं, वह हमारे पास हैं उसमें 20 परसेण्ट भी वह डाक्टर की सुविधा पूर्वान्चल के देवरिया जनपद में नहीं है, चाहे वह ब्रेन का हो, चाहे वह एनेस्थीसिया का हो, चाहे वह हार्ट का हो, चाहे वह किडनी का हो, चाहे वह लीवर का हो, चाहे वह कैंसर का हो, इस तरह से कोई भी स्पेशलाइज डाक्टरों की बहुत आकाल है उस जनपद में और जो लम्बे ट्रीटमेण्ट जिसके चलने हैं जिसकी दवा दूर तक हो सकती है, ठीक है, वह व्यक्ति लखनऊ, बनारस चला जाता है, लेकिन आकस्मिक सुविधायें न होने के कारण प्रतिवर्ष देवरिया जनपद में हजारों लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं कि वह इस तरह की बीमारियों से तत्काल उच्चीकृत मेडिकल हेल्थ की सुविधा नहीं पा पाते हैं। हम मान्यवर, इस सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि देवरिया जनपद में जो कि पूर्वान्चल का सबसे घनत्व का एक जनपद है, पूर्वान्चल में सबसे ज्यादा रोग और रोगी वहां इसलिए पाये जाते हैं कि वहां पर प्रदूषण से लेकर, जलजनित से लेकर के वहां पर आबादी का घनत्व ज्यादा होने के कारण से लेकर के जो तरह-तरह की बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से वहां के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, ग्रसित होते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये हमारा आपसे अनुरोध है, इस सदन से अनुरोध है, मा0 मंत्रि-परिषद् से अनुरोध है कि देवरिया जनपद में एक 50 बिस्तरों का ट्रॉमा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवा दिया जाये जिससे इस जनपद के लोगों को त्वरित मेडिकल सुविधा मिल सके और हजारों मौतें जो अचानक होती हैं, दर्दनाक

मौतें होती हैं, उन लोगों को बचाया जा सके। यह सरकार ऐसा चाहती भी है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना बड़ा दिल दिखायेगी और देवरिया में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर खुलवायेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी द्वारा जो प्रस्तुत संकल्प है कि जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रॉमा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाये। मान्यवर, पूरे पूर्वांचल की हालत बहुत खराब है। जैसा कि हमारे मा0 सदस्य ने कहा कि दूर-दूर तक कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इन्सेफ्लाइटिस बुरी तरह से उन क्षेत्रों में फैला हुआ है और देवरिया एक ऐसा जनपद है जिसमें इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसे दूरस्थ लखनऊ आना पड़ता है और इतना बड़ा डिस्टेन्स होने के नाते उन्हें वह व्यवस्थायें नहीं मिल पाती हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र देवरिया में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर सदर अस्पताल में खुलवाया जाये जिससे कि देवरिया जनपद के स्थानीय निवासी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। मैं मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देता हूं और मॉग करता हूं कि इस अस्पताल को शीघ्र ही खोला जाये और एक आश्वासन भी चाहूंगा सरकार की तरफ से कि वह आश्वस्त भी करे कि वह शीघ्र ही 50 बेड का ट्रॉमा सेण्टर जनपद देवरिया में खोलेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प की चर्चा में भाग लेता हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी बातें रख रहा हूं। ट्रामा सेण्टर तो मा0 अध्यक्ष जी गोरखपुर में भी प्रारम्भ हुआ है। सच्चाई यह है कि उद्घाटन तो हो गया लेकिन जमीनी धरातल पर अभी उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। यहां तक कि उस ट्रॉमा सेण्टर में काम करने के लिये जो डॉक्टरों की जरूरत थी, उनकी नियुक्ति नहीं हुयी। जो पराचिकित्सकों की जरूरत थी, उनकी नियुक्ति नहीं हुयी। अधिकांश मरीज जो वहां आते हैं, वह सीरियस आते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ट्रॉमा सेण्टर में आक्सीजन की व्यवस्था तक नहीं की गयी है इसलिये यह महत्वपूर्ण चर्चा है। देवरिया अपने आप में महत्वपूर्ण है और देवरिया का महत्व इसलिये भी है कि आज जो लोग गोरखपुर से बलिया जाना चाहते हैं, उनके लिये देवरिया एक सामान्य माध्यम है, वो किसी और रास्ते से नहीं जाते हैं और अगर आपने भी कभी देवरिया से होकर बलिया का सफर किया होगा, मा0 अम्बिका चौधरी जी मैं समझता हूं कि जब आप कह रहे थे कि ये खड़े होंगे और बल देंगे लेकिन इन लोगों को किसी को रहती नहीं, अन्यथा यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इन लोगों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि देवरिया में एक 50 बेड का ट्रामा सेण्टर बनवाया जाये। मैं श्री अखिलेश प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं श्री अखिलेश प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर चर्चा में अपने आप को सम्मिलित करता हूं और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे बलिया जनपद का अधिकांश भाग इस देवरिया जनपद से लगा हुआ है और चूंकि ट्रामा सेण्टर हमारे यहां बलिया में भी नहीं है और बलिया में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो

हमारे बलिया के लोग या तो सीधा बनारस जाते हैं जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है या तो गोरखपुर जाते हैं उसकी भी दूरी 200 किलोमीटर है। यदि यहां देवरिया में जो श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी जो प्रस्ताव लाये हैं और अगर यहां पर एक ट्रॉमा सेण्टर खुलता है तो हमारे बलिया जनपद के कम से कम 3 विधान सभा क्षेत्रों के लोग जो हमारा सीयर विधान क्षेत्र है, रसड़ा है, सिकन्दरपुर है, बांसडीह है जो सीधा इधर देवरिया से नजदीक पड़ेगा, बहुत कम दूरी है तो अगर यहां पर ट्रॉमा सेण्टर बनाया जाता है। इसकी स्थापना अगर शीघ्र करायी जाती है तो देवरिया के साथ-साथ हमारे बलिया जनपद को भी उसका लाभ मिलेगा इसलिये मैं इनके प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जो संकल्प श्री अखिलेश प्रताप जी ने रखा है.....

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो श्री अखिलेश प्रताप जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है हम उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहते हैं कि ये राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बनना दोनों जिलों के लिए उचित है। अभी मा0 अध्यक्ष जी आप आते हैं बलिया से, जब बस्ती से चलते हैं तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है बलिया पहुंचने में। अब तो स्थिति यह है कि बेलथरा रोड से बलिया जाने में साढ़े तीन घंटे का समय लग रहा है, पहले मान्यवर, पौने दो घंटे लग जाते थे और देवरिया से बलिया पहुंचने में 4 घण्टा लग रहा है। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सड़क का बनाना बहुत ही जरूरी है और मैं चाहता हूं कि यह राजमार्ग बन जाए। इस राजमार्ग का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य वे ट्रामा सेन्टर की बात कह रहे हैं और आप राजमार्ग बनाने की बात कर रहे हैं। बैठिए, बैठिए। (हंसी)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो संकल्प श्री अखिलेश जी ने रखा है उस पर सदन में अभी श्री उमाशंकर जी बोल रहे थे और उन्होंने दूरी भी रसड़ा से देवरिया की, बेलथरा और सिकन्दरपुर से दूरी भी बताई है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं यह समझ रहा था कि बलिया जनपद का विधायक होने के नाते, वह उठकर के मा0 मुख्य मंत्री जी और इस सरकार को धन्यवाद देंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि कल ही अपने दौरे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने बलिया जनपद में 100 बेड के ट्रामा सेन्टर की कल घोषणा की और वह काम शुरू कराने के लिए धन की व्यवस्था की।

श्री उमाशंकर-

मैं वहां नहीं था।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप नहीं थे इसका कोई मतलब नहीं, आपको यह ज्ञात होना चाहिए था। मैं यह समझ रहा था कि वे उठकर धन्यवाद देंगे। अब वह यह कहना चाहते हैं कि कुल 20 मिनट की दूरी

रसड़ा से बलिया की है और रसड़ा से देवरिया की दूरी ढ़ाई घंटे की है, तो ढ़ाई घंटे वाला जरूरी है, बीस मिनट में पहुंचने से उनका काम नहीं चल रहा है। 30 किलोमीटर की दूरी है, 20 मिनट में सड़क से पहुंचा जा सकता है, सिकन्दरपुर से 35 किलोमीटर की दूरी है और ठीक जिस रास्ते का उल्लेख प्रकारान्तर से मा0 रिजवी साहब ने कहा है, उस पर सड़क का बनना जरूरी है और मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि उस सड़क के बनने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है और थोड़ी शर्म बाकी हो तो मान्यवर, जल्दी-जल्दी बन जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, ट्रामा सेन्टर पर बात कीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं ट्रामा सेन्टर पर ही बोल रहा हूं, मैंने उसको क्लेरिफाई कर दिया। मान्यवर, ट्रामा सेन्टर ही नहीं, स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं, इस सरकार ने स्वास्थ्य की जितनी सुविधाएं देने का काम किया, उसमें अब एक्स-रे, सभी तरह की जांचें, पूरी चिकित्सा मुफ्त है और हम तो अपने पूर्वजों की बात की दवा, पढ़ाई मुफ्ती होगी कि लाइन पर चलने वाले लोग है और मान्यवर, सारा इंतजाम यह सरकार करना चाहती है। ऐसी स्थिति में अखिलेश जी को अपना संकल्प वापस ले लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप वापस लेंगे।

(3-4 मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग उसी संकल्प पर बोलिएगा।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मऊ सदर अस्पताल है उसमें गरीब मरीजों को भगा दिया जा रहा है, दवा की बात तो छोड़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग विषय को समझा करें कि क्या विषय चल रहा है। अब वे एक ट्रामा सेन्टर बनाने की बात कर रहे हैं और वे सड़क बनाने की बात कह दिए।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अखिलेश जी, अब आप की बात हो गई।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या स्पष्टीकरण देंगे, बोलिए।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं मेरा नाम आया है, मा0 मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। मा0 मंत्री जी को हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं श्रीमन्, हमने

पिछली बार भी बलिया में ट्रामा सेंटर बनाने की बात की थी और उस पर सरकार से आश्वासन चाहा था। यह बताया है कि कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने बलिया में ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसका शीघ्र वहां निर्माण कार्य शुरु करा दें ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके।

बाल विकास एवं पुष्टाहार बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, जब माननीय वीर बहादुर सिंह जी यहां पर मुख्य मंत्री जी थे तो उन्होंने गोरखपुर-बलिया मार्ग के निर्माण की बात कही थी उसका जीओ भी हो गया था और बजट भी स्वीकृत हो गया था लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह कार्य रुक गया। उसको प्रारम्भ कराने के लिये ही मा0 जियाउद्दीन रिजवी जी कह रहे थे। वह कार्य होना भी बहुत जरुरी है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिस पर सदन के सभी मा0 सदस्य सहमत होंगे कि देवरिया में ट्रामा सेंटर बनना चाहिए। लेकिन बड़ा दुःख हुआ कि मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको इसको वापस लेना चाहिए। अगर वहां ट्रामा सेन्टर बन जायेगा तो इसका क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी सरकार को ही जायेगा। उन्हें तो घोषणा करानी चाहिए थी कि यह वहां बनाया जायेगा। श्रीमन्, हर मुख्य मंत्री की यह इच्छा होती है कि अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदेश की जनता को मुहैय्या हों। माननीय मंत्री जी को तो हमारे संकल्प पर बल देना चाहिए कि देवरिया में पचास बेड का एक ट्रामा सेन्टर बनना चाहिए। मान्यवर इस प्रदेश का बजट अब ढाई लाख करोड़ रु0 का हो गया है उसमें से इसमें मुश्किल से 50 लाख एक करोड़ रु0 लगेंगे। वहां के पांच विधायकों में से चार विधायक सपा के हैं। इसलिए आपको तो इस पर बल देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

आप यह कह दें कि इस पर चर्चा जारी रखी जाये तो मैं उस पर अपना निर्णय दे दूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, चर्चा जारी रखने की बात नहीं है आप इस पर सरकार से आश्वासन दिलवा दें इसमें समय की कोई बात नहीं है जब सरकार के पास वित्तीय संसाधन हों छह महीने आठ महीने बाद वह वहां कार्य शुरु करा दें। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बलिया में मुख्य मंत्री जी ने ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की है और दूसरी बड़ी शहरी स्वास्थ्य परियोजना का शिलान्यास इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कल किया है। अच्छी बात है। तब आप क्यों कह रहे हैं कि इस संकल्प को वापस ले लें। जब सरकार स्वयं चिंतित है तो वह आश्वासन दे दें कि देवरिया में ट्रामा सेंटर बनवाया जायेगा। माननीय आजम साहब बैठे हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बैठें हैं माननीय अम्बिका जी बैठे हैं वह सरकार की ओर से इसका आश्वासन दे दें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह इतना अहम मुद्दा है उस पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है। उस पर माननीय मंत्री जी संकल्प को वापस लेने की बात कह रहे हैं। यह तो जनहित का मामला है।

आपने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शहरी स्वास्थ्य योजना का शिलान्यास मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा करने की बात कही, वह तो केन्द्र सरकार की योजना है उसका लाभ इस प्रदेश को भी मिला है। मान्यवर, यह निष्ठुर सरकार है यह घोषणा नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य की मांग पर कि देवरिया में भी पचास बेड का एक ट्रामा सेंटर बनाया जायेगा। अगर सरकार की ओर से आश्वासन नहीं आयेगा तो हम लोग मजबूरी में सदन का बहिष्कार करेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, बहिष्कार करने की बात नहीं है मा0 मंत्री जी इसका आश्वासन सदन में दे दें कि वहां पर ट्रामा सेन्टर बनाया जायेगा। मान्यवर, आम जनता के लिए प्रथम सुविधा स्वास्थ्य की होती है और सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में बढ़ा रही है और हमें आशा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का वह विस्तार और करेगी। जब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार की नीति है तो आप आश्वासन दे दें कि वह वहां बनवा दिया जायेगा । यहां पर माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं वह उठकर घोषणा कर दें। माननीय मोहम्मद आजम खां साहब आप ही आश्वासन दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं स्वास्थ्य का मामला है अगर यह लोग खामोश रहेंगे तो कैसे काम बनेगा यह जरूर बोलेंगे, यह लोग जरूर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप काफी देर से यह प्रयास कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी भी अपना जवाब दे रहे हैं हम उनसे आश्वासन तो दिला नहीं सकते। हमारे पास एक ही विकल्प है कि या तो इसे सदन में पास करा दें तो उन्हें मानना बाध्य हो जायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

तो पास करायें अगर मंत्री जी लोग नहीं राजी होते तो क्या करें, सदन में फिर मतदान करा दीजिए ठीक है हम हार जायेंगे। अगर यह सरकार सदन में यह सरकार बहुमत से चाहती है एक स्वास्थ्य सुविधा न देने की ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब चर्चा जारी रहेगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

ठीक है, आप 6 महिने बाद करियेगा जब अगला बजट आये तब करियेगा हम उस पर सरकार को घेरना नहीं चाहते।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चर्चा जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, चर्चा जारी नहीं यह लिंगर आन करने का तरीका है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपके बस का नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए सरकार को, सरकार की नीति है, खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, आपका अभी रहेगा तो अगली बार फिर कहियेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है और न आश्वासन दे रही है इसके विरोध मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी इस पर चर्चा जारी रहेगी क्यों इस पर बहिर्गमन कर रहे हैं ?

(श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

[1.03] आगरा महानगर में हो रही काले, गन्दे, दूषित, बदबूदार पानी की आपूर्ति से निजात दिलाने हेतु शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा0 धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में हो रही काले, गन्दे, दूषित, बदबूदार पानी की आपूर्ति से निजात दिलाने हेतु शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायी जाय।''

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है और माननीय अध्यक्ष जी यह भी कहा जाता है कि जल होगा तो कल होगा अगर यह दोनो बाते सच हैं तो आगरा शहर की जनता को पिछले कई सालों से काला पानी की सजा क्यों मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं उस सजाये काले पानी की बात नहीं कर रहा जो कभी बर्तानिया हुकूमत स्वतंत्रता के मतवालों को दिया करती थी मैं बात कर रहा हूं आगरा शहर की जनता को जो काला और दूषित पानी मिल रहा है पीने को। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1828 में एक वाटर वर्क्स 224 एम0एल0डी0 का निर्माण किया गया। जब शहर की जरूरत बढ़ी, जब शहर की आबादी बढ़ी तो दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण 1997 में सिकन्दरा में किया गया जिसकी क्षमता 144 एम0एल0डी0 थी उसकी भंडारण क्षमता 5 एम0एल0डी0 थी और वह 90 एम0एल0डी0 जल शोषित करता था। माननीय अध्यक्ष जी, दोनो ही जलकल यमुना के किनारे पर स्थित हैं। आगरा में पीने के पानी का कच्चे जल का श्रोत यमुना नदी है और यह दोनो जलकल यमुना नदी से ही पानी लेकर उसे शोधन कर आगरा की जनता को पीने के रूप में पहुंचाने का काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सिंचाई विभाग के आकड़ों की बात करें तो जो हथिनीकुण्ड बांध हैं..

श्री अध्यक्ष-

इस पर आप चर्चा जारी रखियेगा ।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत इम्पार्टेंट है, आगरा में हाहाकार मचा हुआ है। वहां काला और दूषित पानी मिल रहा है। हथिनीकुंड बांध से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिये 180 क्यूसेक पानी सिंचाई विभाग के ऑनरिकार्ड में है, छोड़ा जाता है। उसमें से 60 क्यूसेक पानी आगरा के हिस्से में आता है। वह पानी आते-आते ओखला बैराज पर अटक जाता है। ओखला बैराज पर ऑनरिकार्ड 4 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यू0पी0 के मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ कि ओखला बैराज से 110 क्यूसेक पानी आगरा के पीने के पानी के लिये छोड़ा जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, सभी जानते हैं कि ओखला से यमुना का अस्तित्व खत्म हो गया है। इसकी जानकारी प्रदेश सरकार को भी है और केन्द्र सरकार को भी है। ओखला बैराज के डाउन स्ट्रीम में शाहदरा डैम, दिल्ली का पूरा सीवर यमुना में उड़ेलने का काम कर रही है। वही गूची ड्रेन हरियाणा का औद्योगिक कचड़ा यमुना में मिला रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ और गाजियाबाद बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक कचड़ा और सीवर हिन्डन नदी द्वारा यमुना में मिल रहा है। इसके अलावा सैकड़ों नालों द्वारा बिना ट्रीट किये हुये दूषित पानी को यमुना में मिलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अपने देश के संविधान में भी पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। आज के समय में यमुना का जो प्रदूषित पानी है जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नीरी ने उस पानी की जांच की तो हाल ही 2013 जनवरी-फरवरी में वह इतना अधिक प्रदूषित पाया गया कि जो भी मानक थे, वह सभी मानक ध्वस्त हो गये। तत्कालीन जिलाधिकारियों ने बहुत बार प्रमुख सचिव, सिंचाई को चिट्ठी लिखी, सरकार को लिखी। माननीय अध्यक्ष जी, इन सब बॉतों को संज्ञान में लेते हुये आगरा के एक समाजसेवी डी0के0 जोशी साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की, रिट संख्या 426/92 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बनाम अदर। इस रिट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठन का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उसमें प्रमुख सचिव, नगर विकास, एम0डी0, जल निगम, महाप्रबन्धक, जल संस्थान और मुख्य नगर अधिकारी को उसका मेम्बर बनाया गया। उस समिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिये कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आगरा के पानी की समस्या का यह समिति निदान करेगी। इस समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि यह समिति 80 क्यूसेक गंगाजल गंगा कैनाल से यमुना नदी में डलवायेगी, इससे यमुना के पानी का प्रदूषण कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि यह समिति चाहेगी तो इस पानी की मात्रा बढ़ा भी सकती है। बाद में यह ढाई सौ क्यूसेक गंगाजल हरनाल से यमुना नदी में डाला जा रहा है। मान्यवर, जब यह निर्णय वर्ष 1997 में हुआ, उस समय गोकुल बैराज का निर्माण नहीं हुआ था और उसके बाद

1998 में मथुरा में गोकुल बैराज का निर्माण हो गया, आज गोकुल बैराज में करीब डेढ़ लाख क्यूसेक दिल्ली का औद्योगिक कचड़ा, नालों का पानी पहले से भरा होता है और उसमें जब यह 250 क्यूसेक गंगाजल मिलता है तो उससे यमुना के पानी में कोई फक्र नहीं पड़ रहा। यह मेरी बात नीरी की रिपोर्ट और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से प्रमाणित होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वही गंगाजल माठ ब्रांच की टेल से एक बलदेव रजबहा निकलता है और दूसरा रहेटा रजबहा निकलता है। बलदेव रजबहा के संबंध में बताना चाहता हूं कि जो सिकन्दरा में पहला वाटर वर्क्स है, उसके सीधे सामने जाकर गिरता है और जो रहेटा रजबहा है, वह आगरा के दूसरे वाटर वर्क्स के सामने आकर गिरता है। अगर सरकार तुरन्त यह निर्णय करे और एक समिति प्रमुख सचिव, सिंचाई और प्रमुख सचिव, नगर विकास के नेतृत्व में भेजी जाये तो जो नाले यमुना में गिर रहे हैं, उनको वह तुरन्त रोके और दूसरा निर्णय वह समिति यह करे कि जो पानी हरनाल से 250 क्यूसेक डाला जा रहा है, उसमें से 100 क्यूसेक पानी अगर बलदेव रजबहा से होता हुआ पचावर ड्रेन से यमुना में डाल देंगे तो पानी गोकुल बैराज से नीचे गिरेगा उससे जो यमुना में पानी का अधिक प्रदूषण है, वह कम होगा और इससे आगरा की जनता को शुद्ध पानी मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी दूसरा काम सरकार और कर सकती है कि गंगाजल का प्रोजेक्ट आगरा में 2007 में शुरू हुआ उस समय इसकी लागत 338 करोड़ थी आज वह 3 हजार करोड़ तक पहुंच गई। उसी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आगरा में 144 एम0एल0डी0 का सिकन्दरा पर एक नई टेक्निक पर आधारित एम0डी0वी0आर0 एक प्रोजेक्ट लगाया गया है जिससे शुद्ध पानी आगरा को उपलब्ध कराने की बात कही गई है लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य यह है कि वह प्रोजेक्ट अभी भी सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया जिससे आगरा की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि संविधान में भी है कि पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, आज आगरा की जनता सरकार की ओर नजरें उठाकर देख रही है। जो आगरा की जनता प्रदूषित पानी पी रही है उसे इससे कब राहत मिलेगी। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आगरा की पेयजल समस्या का तुरन्त निदान कराया जाए, धन्यवाद।

(मा0 सदस्य प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह आगरा का मामला है मथुरा का नहीं। यह चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश पर बोल सकता हूं, श्री धर्मपाल जी ने जो मुद्दा उठाया वह बहुत अहम मुद्दा है। चूंकि यमुना नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है और वह मथुरा से ही आता है। मथुरा का गन्दा पानी आगरा वाले पीते हैं, मल-मूत्र का पानी आगरा वाले पीते हैं। उसे ढंग से शुद्ध नहीं किया जाता है उसे क्लोनाइजेशन मेथड से साफ किया जाता है, जिसमें इतनी बदबू होती है कि पीना तो दूर रहा आप उससे घर की सफाई करें तो आपके घर में भी गन्दगी हो जायेगी। तो आगरा जैसा महानगर जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है वहां इतना गन्दा पानी जनता पीती है कि उसे पशु भी नहीं पी सकते हैं। मैं इसको इसीलिए मथुरा से भी लिंक कर रहा

हूं कि यही हाल मथुरा का भी है वहां पर भी गोकुल बैराज का पानी इतना गन्दा है कि लोगों ने पीना बन्द कर दिया। प्रदेश सरकार को इन दोनों शहरों के ऊपर ध्यान देना होगा कि जनता को शुद्ध पेयजल दिया जाए। चूंकि संक्रमणीय बीमारियां बहुत फैल रही हैं इस पानी को पीने से इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन का काम भी केन्द्र सरकार के पैसे से नगर विकास विभाग करा रहा है पर वह भी इतनी गुणवत्ता वाला नहीं है और वह इतने धीरे हो रहा है कि उससे पता नहीं कब काम पूरा होगा और कब जनता को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार को इस मुद्दे पर सोचना होगा, विचार करना होगा और कार्यवाही त्वरित करनी होगी जिससे कि मथुरा और आगरा की जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 धर्मपाल जी ने जो संकल्प रखा है कि आगरा महानगर में दूषित बदबूदार पानी से निजात दिलाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाए, संकल्प तो यही है। श्रीमन् सरकार सभी प्रकार के प्रयत्न करके नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके इसके लिए सरकार स्वयं प्रयत्नशील है और सभी जगहों पर योजनाएं प्रचलित हैं। जहां तक यमुना के पानी के दूषित होने का सवाल है मैं समझ यह रहा था कि माथुर साहब मा0 सिंचाई मंत्री जी को बधाई देंगे और दिल्ली में जो गड़बड़ी हो रही है यमुना को गन्दा करने की उस पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए संकोच करेंगे और यह कहेंगे कि सिंचाई मंत्री जी ने जो बात कही है उसको पूरा कराने के लिए दिल्ली वालों को आइना दिखाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने केन्द्र सरकार की किसी बड़ी भारी योजना का नाम ले लिया। डॉ0 धर्मपाल जी ने जो बात कही है उससे पूर्णतया सरकार सहमत है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह चाहे नगरीय क्षेत्र में रहता हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, उसको शुद्ध पेयजल मिलना ही चाहिए और उसके जो भी प्रबन्ध किये जाने की सरकार की जिम्मेदारी है उसे सरकार कर रही है और सरकार को करना भी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कारणों से यमुना का जल प्रदूषित हुआ है, चूंकि यमुना दिल्ली से होकर गुजरती है और दिल्ली में सैकड़ों गन्दे नाले इतने ज्यादा आ रहे हैं कि यमुना पूरी तरह से नाला नहीं बल्कि पूरी तरह से सीवेज हो गई है।

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

सुन तो लीजिए, बेचैन मत होइये, दिल्ली की बात जरा ध्यान से सुनिये, लखनऊ में हैं तो जरा दिल्ली की बात सुनिये और दिल्ली वालों तक ले भी जाइये, अगर आपकी सुनी जाती हो, न सुनी जाती हो तो मुस्कराते हुए काम चला लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी इसलिए मैं यह समझ रहा था कि माथुर साहब उठे हैं नेता हैं एक दल के, राष्ट्रीय दल के नेता हैं, दिल्ली में सरकार है उनकी, केन्द्रीय सरकार की कई बार नुमाइन्दगी करते हैं। इसलिए यह सिंचाई मंत्री जी को बधाई देंगे जिन्होंने कह दिया है कि अगर दिल्ली के नालों को यमुना में गिराने से बंद करके उसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया और यह सारा मल-मूत्र यमुना में गिराया जाता रहा तो हम दिल्ली को पानी आगे से बंद करेंगे और अपने निर्णय पर यह सरकार अडिग है।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर कुछ कहने पर)

माथुर साहब सुन लीजिए, खड़े क्यों हैं। आप खड़े होंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बैठ जाईये। सवाल सुन लीजिए तब जवाब दीजिए, रेडीमेड जवाब नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आप बैठ जाईये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए उनका जब तक इंतजाम नहीं हो जायेगा तब तक यमुना की इन चीजों को, यह सही है कि यमुना के जल को शुद्ध करने का काम और शुद्ध पेयजल दिये जाने का काम सरकार मथुरा में भी और आगरा में भी सारे ट्रीटमेंट प्लाण्ट और अन्य चीजों से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन नदी ही पूरी की पूरी अशुद्ध रहेगी तो यह सबके चिंता का विषय है। इसलिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने अपना संकल्प रखा है सरकार शुद्ध पेयजल की सबको पीने लायक पानी मिल सके इसके लिए सम्पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। आगरा के लोगों को भी शुद्ध पेयजल जरूर प्राप्त होगा सरकार इसके सारे प्रबन्ध कर रही है। आप अपना संकल्प वापस ले लें और साथ ही माथुर साहब अगर सचमुच में दिल्ली में कुछ कर सकते हो मथुरा वालों के लिए, मथुरा वालों को जहर न मिले, इसके लिए अगर माथुर साहब की कोई गुंजाइश हो तो हम उनसे व्यक्तिगत अनुरोध करते हैं मान्यवर, इस सदन में आपके माध्यम से कि दिल्ली वालों को जरा इसको बतायें कि यमुना में जो सारा सीवेज गिर रहा है उसको यथाशीघ्र बंद करें वर्ना मा0 सिंचाई मंत्री जी ने कह दिया है हम पानी तो बंद करेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं। मा0 शिवपाल जी के हर कार्य को हम बधाई देते हैं जो भी कार्य करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। यही एक मात्र मंत्री हैं जो कुछ करते हैं। दूसरी बात, जहां तक यमुना में नालों के गिरने का प्रश्न है वह नोयडा से लेकर आगरा तक परोक्ष रूप से गिर रहे हैं। मा0 मंत्री जी यमुना नदी के समानान्तर नाला बनवायें, उसके लिए पहले यमुना रक्षक दल से बात भी कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितने नाले गिर रहे हैं उनकी टैपिंग करवायें दिल्ली के लिए तो हम लगे ही हुए हैं। आपकी भावना को भी और सरकार की भावना को भी केन्द्र सरकार से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। पर पहले यह उत्तर प्रदेश के सदन में बात हो रही है। डा0 धर्मपाल सिंह जी ने आगरा की बात कर रहे हैं, हम मथुरा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बातों को केन्द्र सरकार के ऊपर मत लादिये और यहीं से नालों को टैप कराने के लिए और यमुना को प्रदूषित होने से बचाने की बात करें। बड़े-बड़े आन्दोलन चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं पर मैं चाहूंगा क्योंकि आप तो चाहते हैं परन्तु अफसरशाही उन कामों को नहीं होने देती और त्वरित गति से काम के जो आपने आदेश किये वह डस्टबिन में चले जाते हैं इसलिए अफसरशाही की लगाम खींचिये और जो आप कहते हैं उसका अनुपालन कराईये। इससे जनता को मीठा पानी, शुद्ध पानी जल्दी मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये। चर्चा जारी रहेगी।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अहम सवाल है मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, मा0 सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार को इसमें निर्णय करना है। जो पानी आज की डेट में हरनाल स्टॉप से गोकुल बैराज में गिर रहा है मा0 अध्यक्ष जी, डेढ़ लाख क्यूसिक गंदा पानी हो उसमें 250 क्यूसिक साफ पानी मिलने से कुछ फक्र नहीं पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसी 250 क्यूसिक पानी में से 100 क्यूसिक पानी भी अगर बलदेव रजबहा से होते हुए बसावट ड्रेन से यमुना में डाल देंगे तो गोकुल बैराज से नीचे तो आगरा में निश्चित रूप से जो यमुना के पानी में अधिक प्रदूषण है वह कम होगा और आगरा की जनता को तुरन्त राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं इसमें सरकार को कुछ नहीं करना है। एक सख्ती से निर्णय करना है। उसी में से 100 क्यूसिक पानी बलदेव रजबहा से होता हुआ सीधा बैराज से नीचे गिरेगा, उससे यमुना में जो पानी की गंदगी है वह कम होगी। दूसरा मा0 मंत्री जी सरकार को वहां 144 एम0एल0डी0 का देश में आधुनिक एम0डी0वी0आर0 तकनीक पर प्लाण्ट लग गया है उसे केवल सरकार को शुरू कराना है। सरकार को जल्दी से जल्दी अधिकारियों पर दबाव बनाकर उस प्लाण्ट को शुरू कराना है जब वह प्लाण्ट शुरू हो जायेगा तो आगरा शहर की आधी जनता को उससे राहत मिलेगी परन्तु दुर्भाग्य है कि वह प्लाण्ट अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। महाना जी का संकल्प अभी बाकी है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, उस प्रोजेक्ट की कास्ट 138 करोड़ रुपये है और वह भी अभी पानी साफ नहीं कर रहा है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी आगरा का हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 धर्मपाल सिंह-

आगरा में लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, लोग पानी पीकर मर रहे हैं अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी आपने बड़े तक्रपूर्ण ढंग से अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी केवल दूसरी नहर से पानी डालने की बात हो रही है। इस पर सरकार कुछ कह दे। इसमें सरकार का कोई बजट नहीं लगना कोई फक्र नहीं पड़ना इस पर भी

सरकार गम्भीर नहीं है। इसका मतलब यही है कि सरकार आगरा के पीने के पानी की समस्या का हल करना नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे माननीय सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी समस्या को दिल्ली पर डाल रहे हैं और दिल्ली लखनऊ पर डाल रहा है। यानी पेयजल जैसी समस्या को फुटबाल बनाया जा रहा है सदन में इससे मुझे शर्म आ रही है। दूसरी बात अगर माननीय मंत्री जी नगरीय पेयजल के लिए इतना ही चिन्तित हैं तो पिछले सदन में जो प्रस्ताव पारित किया था आश्वस्त किया था कि नगरीय क्षेत्रों को 100-100 हैण्ड पम्प दिए जाएंगे आज तक नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष-

यह 100 हैण्डपम्प की बात कहां से आ गई। डाक्टर साहब के संकल्प पर अपनी बात रखें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

आज यमुना की जो स्थिति है वह है राम तेरी गंगा मैली पापियों का पाप ढोते-ढोते । कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई ओखला के नाले ढोते-ढोते। परसों महाप्रबन्धक जल संस्थान आगरा ने प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की कि आगरा के पानी को आगरा का जल संस्थान शोधन करने में असमर्थ है हम पानी शोधित नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हो सकता है कि जलापूर्ति ठप हो जाए यह महाप्रबन्धक का बयान है अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति है। सेना के अधिकारियों ने इस सबको देखकर यह निर्देश दे दिया अपने सैनिकों को कि इस पेयजल को न पिया जाय। आगरे का पर्यटक परेशान है दहशत में है ऐसे समय में सदन में एक-एक बूंद पानी की अगर मांग की जाती है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि संकल्प वापस ले लो तो मुझको शर्म आती है सरकार को आती हो या न आती हो मुझे नहीं मालूम। ऐसी स्थिति में कुछ सुझाव उन्होंने दिए धर्मपाल जी ने कि यह किया जाय एक सुझाव मैं भी देता हूं कि चम्बल में पिनहट में साढ़े चार सौ क्यूसेक पानी लिया जाता है 300 क्यूसेक सिंचाई के लिए और डेढ़ सौ क्यूसेक फालतू है। उसको भी आगरा लाया जा सकता है यमुना मैली हो गई- हो गई लेकिन अगर चम्बल का पानी आगरे को मुहैया करा दिया जाय तो आगरे की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे में संकल्प वापस लेना ठीक नहीं है। आगरा के लिए पेयजल उपलब्ध कराइए 100 हैण्डपम्पों का वायदा किया था नगरीय क्षेत्रों के लिए वह 100 हैण्ड पम्प दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर हैण्ड पम्प की बात करने लगे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, हैण्ड पम्पों से भी पानी मिलता है।

श्री काली चरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी आगरा जनपद को शुद्ध पेयजल मिले मीठा पानी मिले इसके लिए माननीय धर्मपाल जी ने शुद्ध पेयजल के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उस पर बल देते हुए

आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जल होता है जल ही हम लोगों को नहीं मिल पाएगा जो सरकार जल ही नहीं दे पाएगी तो इससे महत्वपूर्ण दूसरा काम क्या हो सकता है। आगरा में इस समय मीठे पानी को लेकर, जो शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है चारों तरफ कड़वा पानी मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्म पाल सिंह जी ने यह बात कह दी उनके बाद कोई सुझाव हों तो दें।

श्री काली चरन सुमन-

पानी न मिलने के कारण आगरा में लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा कि जी0एम0 साहब ने भी कहा है कि हम शुद्ध पेयजल नहीं दे पाएंगे मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाय।

श्री सूरज पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी डा0 धर्मपाल सिंह जी के संकल्प पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब जो बोले हैं उससे इतर कोई सुझाव हो वह दीजिए।

श्री सूरज पाल सिंह-

मान्यवर, मेरा सुझाव जनमानस से भी है और धर्म से भी है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यमुना का इतिहास बहुत पुराना है। यमुना सूर्य पुत्री हैं। उनको सनातन धर्म की रीति के अनुसार उनको पूजा जाता है। कहावत कहते हैं कि यमुना में स्नान करने से यमदूत उसे परेशान नहीं करते। धार्मिक रूप से यमुना को जाना जाता है। आज उस यमुना की स्थिति क्या है ? उस यमुना की स्थिति यह है कि आज वह आगरा में नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। उसमें नहाने के बाद पुण्य पाने की बात दूर की बात, उसमें अगर वस्त्र भी धो लिया जाय तो वह बदबूदार हो जाते हैं तो उसका पानी पिया कैसे जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान उस यमुना की ओर ले जाना चाहता हूं कि यमुना का शुद्ध पानी न दे सकें तो कम से कम उस गंदे पानी को तो रोक दीजिये। आगरा वासियों को जब यमुना का पानी नहीं मिलेगा, गंगा का पानी नहीं मिलेगा, भू-गर्भ से जो खारा पानी मिलता है तो आगरावासी कहां जायं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगरा की पेयजल समस्या को, जल ही जीवन को आधार मानते हुए इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें काफी चर्चा हो गई। मैं अब प्रश्न को रखकर इसको खत्म करा दे रहा हूं। आप बैठिये। (श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर) आप कुछ जवाब देंगें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग अत्यन्त परेशान बेचैन होते हैं तो आगरा जाते हैं। अब आगरा के लोग कहां जायेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो जिलाधिकारी आगरा का एक पत्र मैं पढ़कर आपको सुना दूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या फायदा। आप दे दीजिये पढ़ लेंगे। कोई मतलब नहीं। यह पत्र यहां मत पढ़िये। बहुत ज्यादा उद्धरण नहीं दिया जाता यहां पत्र का। आप अपना जो कहेंगे वह सही माना जाता है। अब इस पर काफी चर्चा हो गई है। इस प्रश्न को रखकर हम इसको खत्म कर दे रहे हैं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में हो रही काले, गन्दे, दूषित, बदबूदार पानी की आपूर्ति से निजात दिलाने हेतु शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, कोई माननीय सदस्य- कहिये मत विभाजन हो)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। इतनी देर में कुछ नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो मैनपुरी छोड़कर आगरा जायेगा वह मान्यवर, इतनी तकलीफ में पड़ ही जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये डाक्टर साहब, हो गया। आप बहुमत में नहीं हैं। हो गया, आप बैठिये। महाना जी, आप अपनी बात रखिये।

कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना के संकल्प पर चर्चा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायं।

मान्यवर, मैं इसके ऊपर बोलूंगा लेकिन इसके साथ-साथ आप का संरक्षण चाहूंगा। मान्यवर, एक गैर सरकारी दिवस होता है यह सदन के लिये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह विपक्ष के सम्मानित विधायकों का यह अधिकार होता है कि वह अपनी बात कह सकें और मान्यवर, उसको सरकार को उतनी ही गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, आज इस संकल्प में 5 मदे हैं। पांच मदों में से 4 मदें नगर विकास विभाग के नगर विकास और आवास विकास से संबंधित हैं। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उठकर चले गये। दूसरे माननीय मंत्री जी जो उनकी जगह पर बैठे हैं उनको

अधिकार है लेकिन वह पानी, पेयजल जैसे मुद्दे पर आगरा के ऊपर कोई विपरीत टिप्पणी करते हैं तो मान्यवर, यह गम्भीर बात है। मान्यवर, यह संकल्प कोई ऐसे नहीं कि कोई अपना भाषण दे। हम लोग यहां पर भाषण देने नहीं आये हैं। मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग केवल यहां पर इसलिये उपस्थित नहीं हैं कि जैसे कभी कभी इस प्रकार की टिप्पणी होती है, कहां से होती है मैं इसको वो नहीं करूंगा कि छप जायेगा। मान्यवर, हम छपवाने के लिये यहां पर नहीं आये हैं। हम यहां पर अपनी समस्या के समाधान के लिये आये हैं। समस्या का समाधान करना मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, सरकार इसके प्रति सम्वेदनशील नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की चर्चा करके आप उसको खत्म करा देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस मद को यहां से समाप्त करा दीजिये। संकल्प लेने का प्रस्ताव समाप्त कर दीजिये। मान्यवर, बड़ी गम्भीर बात है, मैं बड़े दुःख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जितनी गम्भीरता के साथ इन संकल्पों को रखा जा रहा था उसी फूहड़पन के साथ उन संकल्पों की मूल भावना को उड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। मान्यवर, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि संकल्पों के समय जिस मंत्री से संबंधित वह संकल्प हो, उसके माननीय मंत्री यहां उपस्थित रहेंगे तो कृपा होगी। कोई भी मंत्री यहां उपस्थित रह सकता है। मैं उसके उसमें नहीं जाना चाहता। उसकी टैक्नीकैलिटी में नहीं जाना चाहता। यह आज सुन लेंगे। कल इनके पास अपने विभाग का इतना काम होगा कि दूसरी चिन्ता नहीं होगी। उस विभाग के संबंधित अधिकारी भी यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते लेकिन अगर बैठे हों तो उस पर नोटिंग लेंगे। मान्यवर, मैं उसका संज्ञान नहीं ले रहा लेकिन अगर यहां पर बैठे होंगें और नोटिंग लेंगे मान्यवर, तब तो इसका महत्व है। नहीं तो आप कहें कि संकल्प रखें,.' हम जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, चर्चा हो इसके पूर्व मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत गम्भीर बात है और बिना उस बात के आए चर्चा अगर आगे बढ़े तो इसका कोई फायदा नहीं है। जैसा महाना जी ने कहा है निश्चित रूप से यह असरकारी दिवस पर जो असरकारी संकल्प है यह जनहित से जुड़े ऐसे प्रश्नों से संबंधित है जिनकी गम्भीरता को, जिनकी गुरूता को, जिनके महत्व को किसी भी हालत में कम करके ऑकना, यह गम्भीर भूल होगी और हम सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की ऐसी न कोई मंशा है और न ही सरकार की ओर से ऐसा किया गया है। महाना जी ने जिस किसी भाव से टिप्पणी की हो, विद्वान हैं, और सबसे अनुभवी लोगों में से यह हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकार को जो अगम्भीर कहने का मामला है वह जानबूझकर कोई राजनैतिक टिप्पणी करने की गरज से है। मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार किया इस संकल्प को, यह सरकार की जिम्मेदारी है पेयजल शुद्ध देना, सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उस क्रम को भी मैंने अवगत कराने का प्रयास किया है और उसके बाद भी, क्योंकि चर्चा जारी है तो इस संबध में, जिन विषयों पर चर्चा जारी है या जिन विषयों पर चर्चा होनी है उसमें मा0 सिंचाई मंत्री जी ने जो

कदम उठाया है जमुना जी के बारे में, जमुना जी कोई आज गन्दी थोड़े ही हुई है जमुना तो तब भी गन्दी थी जब दूसरे लोग यहां पर बैठते थे, जमुना तो तब भी गन्दी थी जब तीसरे लोग यहां बैठते थे और जब मिलजुलकर दो-दो लोग बैठते थे तभी भी जमुना गन्दी थी,उस समय किसी ने भी यह कदम नहीं उठाया मैंने इस बात का उल्लेख भी किया और सरकार की ओर से किए जाने वाले गम्भीर प्रयासों का भी उल्लेख किया जिस टिप्पणी की बात आप कर रहे हैं यह उस चर्चा से संबंधित नहीं है यह एक दूसरी बात है, महाना जी, आपसे तो हम सीखते रहे हैं वह इस विषय पर टिप्पणी नहीं हुई। चर्चा करने के दौरान, सरकार के कदम बताये जाते समय, हम कहीं भी अगम्भीर नहीं हैं और इस बात को घुमाना, इस बात को ट्वीस्ट करना ठीक नहीं है। राजनीतिक टिप्पणी अलग-अलग कर लेंगे। लेकिन सरकार इस पर गम्भीर है पेयजल निश्चित रूप से शुद्ध मिलना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी है और मैंने उससे मुकरने की बात नहीं कही। मैंने कहा कि उसके समुचित प्रबन्ध हैं विस्तृत तौर पर, आपकी बात स्वीकार करता हूं कि अगर उसकी और भी जानकारी मांगी जाती अगर उसकी और भी डिटेल मांगी जाती, हमको बताया जाता तो उसकी पूरी जानकारी आपको देते लेकिन यह संकल्प है, संकल्प के विषय पर, और सरकार के प्रयासों पर शंका करना उचित नहीं है हम इसकी गम्भीरता पर संदेह नहीं करते हैं अपनी जिम्मेदारी से मुकरते नहीं हैं शुद्ध पेयजल उनको मिलना चाहिए यह हमारा निश्चित मत भी है और प्रयास भी है।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी चर्चा करेंगे या चर्चा जारी रखेंगे।

श्री सतीश महाना-

चर्चा की शुरुवात कर देते हैं। मान्यवर, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वह शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से उनको मकान उपलब्ध कराने की होती है। श्रीमन् एक आम आदमी जब मकान खरीदने जाता है तो वह सोचता है कि हम किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से चाहे विकास प्राधिकरण हो, आवास विकास हो या नगर निगम हो इत्यादि-इत्यादि, उनके थ्रू मकान लेते हैं कालोनी में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसका लाभ मिलेगा, सरकार की भी यह मंशा रहती है सरकार को उसे नो प्राफिट, नो लॉस पर देना चाहिए जो सरकार करती भी है मगर उनको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि उनको मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हों। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आवास विकास परिषद् द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा कालान्तर में जो कालोनी डेवलप की गईं उसमें किसी भी प्रकार की, अधिकांशतः, लगभग 90 प्रतिशत स्थानों पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गईं। मान्यवर, जहां पर विकास प्राधिकरण की कालोनियां हैं, वहां सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, जल निकासी के लिए कोई नाला नहीं है,वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, मान्यवर, आवास विकास कालोनी कानपुर में एक हंसपुरम बहुत बड़ी कालोनी है लगभग पचास हजार के लगभग आबादी है उसकी किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं है। मान्यवर भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनायें चलाई जा रही हैं कि हम गरीब आदमी के लिए मकान बना रहे हैं केवल संख्या को पूरा करने के लिए छोटा सा ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इसको भी

गम्भीरता से ले लिया जाए, पहले यह होता था कि नगर निगम में अगर प्रार्थना-पत्र दिया जाए कि यह डेढ़ सौ साल पुराना मकान है गिरने की स्थिति में है तो नगर निगम विभाग अपनी नोटिंग लगा देता था, लेकिन यह जो विकास प्राधिकरण के मकान हैं इनको डेढ़ दो सौ साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है इन्हें 15-20 साल में ही सार्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ जाती है। केवल 15-20 साल में ही सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है कि मकान गिराऊ है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आवास विकास परिषद् के द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट बनाया गया, जो लोग सोसायटी बनाते हैं, उनका आप नियमितीकरण करते हैं और उनको कुछ शर्तों के साथ बांधते हैं। सोसायटियों के द्वारा जो मकान बेचे जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है ? आपने उनका रजिस्ट्रेशन किया है, आपने उस सोसायटी से पैसे लिए हैं। आपके द्वारा उनको अधिकार दिए जाते हैं कि प्लाट बेचो, अगर वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार और उस एजेंसी का काम है कि वह उस सोसायटी पर दबाव डाल कर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को पूरा करायें। उनको पूरा करवाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। सरकार के द्वारा जो मकान बनाये जा रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि यह रहने लायक हैं भी या नहीं। मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, चूंकि चर्चा में कानपुर महानगर लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसी तक अपने को सीमित रखूंगा, वहां पर मान्यवर, एक गुंजन बिहार कालोनी है, वह विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप की गयी है। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मैंने कहा था, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया था, प्रमुख सचिव भी थे। मान्यवर, वहां जानवरों से बदतर स्थिति है, आदमियों की। मन में पीड़ा होती है, देखने की बात छोड़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, आंख बन्द करके बैठे हैं। मान्यवर, उन विकास प्राधिकरणों से जो कहते हैं कि वह हमारी सहयोगी हैं, उनसे मकान लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जमीन विवादित है, वह प्लाट आपको नहीं दिया जा सकता है, कालोनी आपको आवंटित की गयी लेकिन आप उसमें नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोई दूसरा भू-माफिया उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको आप खाली नहीं करा सकते, मूल आवंटी कागज लिए घूम रहा है, जिसने आपको पैसा दिया है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप उसको मकान देने के लिए तैयार नहीं हैं। मान्यवर, मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए एक आदमी का संवैधानिक अधिकार है, वह तो पैसे दे रहा है। जो पैसे नहीं देता, जो गरीब आदमी है, अगर नाले के किनारे रहने के लिए मजबूर होता है, आप उसकी चिन्ता करते हैं, सरकार को उसकी चिन्ता करनी पड़ती है और उसके हिसाब से उस गरीब को एक पक्का मकान देने के लिए आप आगे आते हैं। केवल खानापूर्ति करने के लिए कि केन्द्र सरकार ने पैसा दिया और हमने इतने मकान बना कर दिखा दिए, अगर मान्यवर, यही मकसद है सरकारों का तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मूलभूत सुविधाएं देने की सरकार की जिम्मेदारी है। 50 हजार, 01 लाख की आबादी में आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आप वहां पर एक बस स्टैंड बना देते, आपने इसकी भी व्यवस्था नहीं की, वहां एक बैंक के लिए जगह दे देते, आपने इसकी भी व्यवस्था नहीं की कि वहां एक मार्केट बना देते, आपने कोई व्यवस्था नहीं की कि आप छोटा सा एक चिकित्सालय बना देते। कैसी प्लानिंग है, मान्यवर, नियोजन का कोई महत्व है क्या ? मान्यवर, यह सदन, बड़ा पवित्र सदन है, यहां बहुत सारे विद्वान लोग आए और

चले गए, हम लोग भी आकर चले जायेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है, चूंकि आपने कहा कि चर्चा जारी रखिए, इसलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन मान्यवर, कम से कम सरकार इसकी जानकारी तो कर ले और जानकारी करने के बाद क्या होगा, मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इतना आश्वासन सदन में दे दें। चूंकि यह चर्चा जारी रहेगी, हम फिर अपनी बात रखेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 महाना जी ने कहा है, जो नक्शे पास होते हैं और जिन योजनाओं को अनुमति दी जाती है उसमें सैद्धान्तिक रूप से चीजें शामिल होती हैं लेकिन उनका कथन सही है कि कई जगहों पर यह गंभीर शिकायतें हैं कि व्यवहारिक तौर पर उस कालोनी का जो भी नक्शा दिया जाता है बजाये उसकी तरह विकसित करने के पाक्र तक को प्लाट्स बनाकर बेच देते हैं। जो रास्ते जितने चौड़े दिखाये जाते हैं उसको और पतला कर देते हैं। इस संबंध में शिकायतें मिलती है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सरकार लेगी भी और मान्यवर, इस चर्चा को इसलिए भी जारी रखें कि यह अत्यंत गंभीर विषय है और स्पेसिफिक कानपुर से जुड़ी हुयी किसी योजना का मामला है तो इसको गंभीरता से इसका परीक्षण किया जा सकता है कि क्यों ऐसा है और आधारभूत सुविधायें तो होनी ही चाहिए और अगर आधारभूत सुविधायें नहीं हैं और सिर्फ नगरीय क्षेत्र में लोगों को बसा दिया जायेगा तो उनका जीवन मान्यवर, बहुत दुरूह हो जाता है। इससे असहमति नहीं हैं इसलिए मान्यवर, इस चर्चा को जारी रखें और आगे इस संबंध में और जानकारी प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते हैं, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 21 फरवरी, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पीछे पृष्ठ-10-13 पर।)

विषय :-प्रदेश के जनपदों में भुखमरी से मृत्यु या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-2447/1-11-2009-78जी/2006, दिनांक 28-11-2006, शासनादेश संख्या-3485/1-11- 2009-78जी/2006, दिनांक 30-10-2006, शासनादेश संख्या-3062/1-11- 2006-78जी/2006, दिनांक 15-11-2006, शासनादेश संख्या-1219/1-11- 2007-78जी/2006, दिनांक 16-05-2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें प्रदेश में भुखमरी, कुपोषण से मृत्यु, निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता से आत्महत्या व राजस्व देयों की वसूली के लिये प्रशासन द्वारा की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से विवश कृषकों द्वारा आत्महत्या करने अथवा प्रयास करने की घटनायें घटित न होने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे।

2-भूख मुक्ति व जीवन रक्षा की गारन्टी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रदेश में भुखमरी, कुपोषण व अन्य कारणों से आत्महत्या अथवा आत्महत्या के प्रयासों से सम्बन्धित घटनायें कदापि न हों। आपके जनपद में सतक्रता से ऐसे प्रकरणों पर नजर रखी जाय एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाय कि भुखमरी या कुपोषण के कगार पर आने वाले व्यक्तियों को समुचित सहायता विधिवत् ससमय उपलब्ध कराई जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अगर कहीं भूख से मृत्यु होती है या गरीबी, बेरोजगारी या कर्ज से तंग आकर कोई किसान आत्महत्या करता है तो ग्राम प्रधान एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपुर्यक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जावेद उस्मानी,

मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 09 विधान सभा (15)-16-4-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।